राजस्थान विधान सभा

६ वीं बैठक, शनिवार, दिनांक-३ दिसम्बर, सन् १६५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-४० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

जनलेखा समिति के रिक्त स्थान में श्री कुम्भाराम आर्य का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष—No Question hour today, as there are no questions.

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक २ दिसम्बर, सन् १६५५ को किये गये चुनाव के फल-स्वरूप श्री कुम्भाराम आर्य (विभाजन संख्या ८०) को राजस्थान विधान सभा की जनलेखा समिति में एक रिक्त स्थान की पूर्ति के हेतु निर्वाचित किया गया है।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५५

(अग्रेतर विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Further discussion on the consideration motion of the Rajasthan Panchayat (Amendment) Bill.

श्री श्रीराम गोयल—माननीय अध्यक्ष, पंचायत एक्ट में इस बिल द्वारा जो कुछ अमेन्डमेन्ट लाया गया है उसके सिलसिले में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं और उनमें से अधिकतर ने यह बताने की कोशिश की है कि राजस्थान सरकार इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में रख कर यह चाहती है कि मनचाहे तौर पर पंचायत सर्किल और वार्ड बनवा सकती है। जहां तक इन अमेन्डमेन्ट्स का सवाल है यदि हम उन पर व्यवहारिक ढंग से विचार करते हैं तो हमारे लिये यह निहायत जरूरी हो जाता है कि इस प्रकार की भावनाओं को रखना ही नहीं चाहिये। राजस्थान सरकार बहुत जिम्मेदारी से राजस्थान के हित में सोचती है। वह यह चाहती है कि इस अमेन्डमेन्ट द्वारा किस तरह से यह पंचायत एक्ट ज्यादा एफीशियेन्ट बनाया जा सकता है। तो फिर वे गड़बड़ियां कैसे पसन्द करेंगे ?

मैं निवेदन करूं, सेक्शन ८६ जो ओरीजिनल एक्ट का है वह बहुत साफ नहीं। उसमें "The State Government may at any time after one month's notice published in

[श्री श्रीदास गोयल]

the prescribed manner at the request of the Panchayat or of the residents of any Panchayat Circle, village or other area, and by notification in the Rajasthan Gazette,——(a), (b), (c)."

ये जो तमाम प्रोवीजन्स हैं, धारा ८६ के अन्तर्गत पंचायत सर्कल्स का निर्णय करने के बाद फिर अगर किसी प्रकार की रद्दोबदल करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो सरकार सुओ मोटो न करके केवल किसी पंचायत की प्रार्थना पर, पंचायत सर्कल के किसी निवासी के निवेदन पर वह कर सकती है; इसे और साफ करना होगा। अगर ऐसी कोई शिकायतें आती हैं उस पंचायत के हित में, पंचायत क्षेत्र के निवासियों के हित में तो उसमें रद्दोबदल किया जाय; तो राजस्थान सरकार ऐसी स्थिति में है कि वह इस सेक्शन के अन्तर्गत कोई कार्यवाही स्वयं नहीं कर सकती। धारा ८६ जो है उसके लिये मैं ऐसा मानता हूं, जैसा कि इसमें ग्राम पंचायत की रिक्वेस्ट या वहां के निवासी की रिक्वेस्ट पर ही रद्दोबदल किया जा सकता है, उसी तरह के सरकार के पास भी यह अधिकार निहित होने चाहियें कि अगर सरकार बाद में चाहे तो उसमें भी रद्दोबदल कर सकती है।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करूं कि ऐसे कई ग्राम रह गये हैं सवाई माधोपुर तहसील में जिनका मुझे अनुभव है। ऐसे कई गांव है जो किसी भी पंचायत सर्कल में नहीं लिये गये; तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार चलेगा यह एक समस्या बनी हुई है। जब यह तहसील सरपंच और पंच के सामने प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार को लिखना पड़ेगा। अगर इस प्रकार के पॉवर्स राज्य सरकार के पास नहीं होते हैं तो क्या उनके नाम गुम ही रहेंगे जो भूल से बाहर रह गये हैं; तो ऐसी स्थिति में धारा ८६ है वह इस प्रकार कम्पलीट होनी चाहिये इन इटसेल्फ।

धारा ८६ के सिलसिले में जो कुछ भी दिखाया गया है वह चीज नहीं है, न किसी को इससे भयभीत ही होना चाहिये। पंचायतें बन गई उनके बनने के बाद क्षेत्र निर्धारित हो गये लेकिन यदि एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से किसी में वैसी सर्कल हो गये या कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई या किसी वजह से कोई पंचायत सर्कल ठीक तरह से नहीं बन पाया है तो ८६ के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को यह अधिकार है कि वह आगे चलकर इनमें रद्दोबदल कर सकती हैं, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की केपेसिटी बढ़ाने के लिये इस सेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति के अन्दर जो कुछ भी अमेन्डमेन्ट किया गया है वह वाजिब है और जो थोड़ा बहुत डर दिखाया जाता है वह हैं अमेन्डमेन्ट धारा ८६ के सब सेक्शन (२) के बाद (३) के आखिरी वर्ड्स :

"Relating to such re-constitution and re-election of Panchas there-to and nothing in section 86 shall apply to or be deemed ever to have applied to such inclusion or exclusion."

[श्री श्रीदास गोयल]

धारा ६३ के अन्दर जो भी अमेन्डमेंट हैं उनका प्रयोग ८६ के बाद में है। धारा ८६ के अन्तर्गत एक महीने का नोटिस जारी किया जायगा जब तमाम सर्कल बनकर नोटिफाइ हो जाते हैं, धारा ८६ बदस्तूर कायम है उसके ऊपर कोई आपति नहीं। धारा ८६ के वर्ड्स है उनका पूरा इम्पलीकेशन होगा जिस तरह कि मौजूद है।

धारा ६३ केवल भविष्य में काम आने वाली है। धारा ८६ का ओपरेशन होने के बाद अनावश्यकीय है, वहां ६३ का प्रयोग किया जा सकता है और वह अमेंडमेंट आवश्यकीय अमेंडमेंट है कि यह अधिकार राज्य सरकार के पास रहने चाहिये। मेरा यह मानना है कि इससे पंचायतों के अधिकार, एफीशियेन्सी बढ़ेगी और ज्यादा अच्छी तरह उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट पर बोलते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी फरमाया कि जिन पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं या गड़बड़ियां हुई है उन्हीं के कारण हमें कुछ सन्देह होता है; कहीं इस अमेंडमेंट का दुरुपयोग तो नहीं हो जायगा...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जैसा हुआ है।

श्री श्रीदास गोयल—(जारी) दुरुपयोग करने का प्रश्न नहीं, हमारे माननीय मन्त्री जिनके हाथों में इस महकमे की सत्ता हैं वे बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं; उससे मैं अपोजीशन के नेता को विश्वास दिलाता हूँ कि उनको इस प्रकार की शिकायत करने का आगे कभी मौका नहीं आयेगा। इतना ही निवेदन कर मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि धारा ८६ के सिलसिले में जो मेरे सुझाव हैं माननीय मंत्री उसे स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—मिनिस्टर इन्चार्ज बोलिये, और कोई नहीं बोलत हैं तो!

(श्री भैंरूसिंह के खड़े होने पर)

भैंरूसिंह जी बोलेंगे क्या? why at the last moment.

श्री भैंरूसिंह (१६)—मैं चाहता था कि सरकार की तरफ से सफाई की बातकी जा रही है, वह पूरी हो जावे।

आज पंचायत एक्ट के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में इस सदन में दो प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हुये हैं। पहले प्रस्ताव में स्वायत्त शासन मन्त्री ने प्रस्ताव किया है जिसके द्वारा इसको विचारार्थ सदन में लिये जाने की अनुमति चाही है और इस पर विचार भी हो रहा है।

[श्री भैरूंसिंह]

दूसरा प्रस्ताव जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है जिसके द्वारा यह मांग की गई है कि इस प्रस्ताव को, इस संशोधन विधेयक को आज न लिया जाकर इसको पहले प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे और इसके बाद में सदन में विचार किया जावे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक इसी प्रकार का संशोधन था लेकिन मुझे कल बोलने का मौका नहीं मिला। यदि आज आपकी आज्ञा हो तो वह संशोधन प्रस्तुत कर दूं।

श्री अध्यक्ष—संशोधन ? आप तो बोलिये ही।

श्री भैरूंसिंह (१६)—मेरा संशोधन था कि इसको पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए, प्रसारित करने के बारे में और ऐसा सोचकर कि इस कानून को जिसे हम आज विधान सभा द्वारा पारित करा रहे हैं, जिसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं उस पर आज विचार किया जाकर पास किया जावे या प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद; इस विषय में जनता की राय ली जावे।

इन तीनों में से उतम चीज कौनसी होगी ? मेरी ऐसी मान्यता है कि इस विषय में जनता की राय ली जावे। इसके बाद में हम अपने विचार बनावें तो इससे सरकार के लिए अच्छा होगा, जनता के लिए अच्छा होगा और सरकार और जनता दोनों के लिए अच्छा होगा। जिस तरह से इस संशोधन के विषय में कल एक सरकारी प्रवक्ता के रूप में नागोर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात बताई थी और उन्होंने बताया था कि यह संशोधन बिल्कुल मामूली है, उसका पंचायतों के ऊपर कोई विशेष असर पड़ने वाला नहीं है, यदि इस संशोधन को पास नहीं करते हैं तो हम मारवाड़ पंचायत एक्ट के आधीन जितनी भी पंचायतें बनी हैं और उसमें जितना भी संशोधन किया हैं उन सारी पंचायतों का दुबारा चुनाव कराना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जहां तक इस संशोधन में जनता के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का यदि कहीं हनन होता है तो नागोर से आने वाले माननीय सदस्य भी यह नहीं चाहते कि उनका हनन हो। लेकिन उनके सामने केवल समस्या एक ही है और वह यह कि मारवाड़ पंचायत एक्ट के मातहत जितनी भी पंचायतों का चुनाव हुआ हैं उनको दुबारा कराना पड़ेगा और हम उनको दुबारा कराने की तवालत से बचाना चाहते हैं। लेकिन दुबारा चुनाव कराने की ही कोई समस्या हैं, ऐसी बात उनके दिमाग में हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि वह बात केवल इतनी ही नहीं है बल्कि बड़ी गम्भीर है। माननीय अध्यक्ष, पंचायतों का कानून बना और इस स्पिरिट में बना था कि राजस्थान के गांवों की जनता को हम राजनैतिक अधिकार प्रदान करें। जिस समय यह कानून विधान सभा में पारित किया गया सबको आशा थी कि जनता को राजनैतिक अधिकार प्राप्त होंगे। कानून बना। जनता ने भी ठण्डी सांस ली और यह देखा कि आज तक जो लोग हम पर शासन करते थे उन लोगों के नीचे शासन में हम लोग रहकर जिस तरह पीसे जाते थे उस मार्ग से हमें मुक्ति मिलेगी और हमें भी शासन करने का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन इस प्रान्त का दुर्भाग्य था कि उनकी सारी की सारी आशाएं निराशा में परिणत

[श्री भैंरूसिंह]

हुई और यह कानून जनता को राजनैतिक हथियार देने का नहीं रह गया बल्कि गुट्ट की सरकार के लिए एक और अधिकार प्राप्त करने के लिए एक षड्यन्त्र सा बन गया। माननीय अध्यक्ष आज जो संशोधन है वह भी उसी षड्यन्त्र की आखिरी कड़ी है। आखिरी कड़ी क्या है और षड्-यन्त्र की शुरू की कड़ी क्या है और बीच की कड़ियां क्या हैं, उन सब चीजों पर मैं संक्षिप्त में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और फिर सदन भी यह सोचेगा कि वाकई में यह आखिरी कड़ी अगर पीछे की और बीच की कड़ियों से जोड दी गई तो इसका भंयकर परिणाम कितना होगा।

पपली कड़ी, माननीय अध्यक्ष, हमने पंचायत कानून में यह धारा रख कर बनाई कि सरकार जो कानून बनावेगी, सरकार के द्वारा जो कानून का निर्माण होगा उसके रूल्स सरकार बनावेगी और उन रूल्स के आधार पर पंचायतों के चुनाव होंगे। पहली कड़ी की नींव यहीं से डाली गई। पंचायतों के चुनाव शुरू हुए। शुरू होने से पहले सब लोगों को उम्मीद थी कि नियम इस ढंग से बनाये जावेंगे कि जिनके आधार पर जिस तरह का राजनैतिक अधिकार देहातों को हम देना चाहते हैं, जिसके द्वारा जनता में शासन से दिलचस्पी रखने की स्पिरिट पैदा करना चाहते हैं वे सारे अधिकार इन कानूनों के द्वारा संरक्षण में आ सकेंगे। पर यह हुआ नहीं। इसमें सबसे जबरदस्त ऐब जो रहा, शुरू की सीढ़ी बनी, शुरू की जो सीढ़ी बनी वह थी बिना वोटर लिस्ट के बने पंचायतों का चुनाव करना। आज यह कोई नहीं कह सकता, आज इस बात का कोई अभिमान नहीं कर सकता, आज इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता कि राजस्थान में पंचायतों के जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें जो वोटरों ने वोट दिये हैं, वे केवल उन्हीं वोटरों ने दिये हैं, जिनको कि वोट देने का अधिकार था। पर बाहर गांवों की स्थिति और अजीब है। एक गांव के वोटरों ने जब देखा कि हमें दूसरे गांवों में जाकर अपने साथियों को जिताना है तो गांव के जितने भी रिश्तेदार थे वे सारे के सारे रिश्तेदार उस दूसरे गांव में पहुँच गये और उन्होंने कहा कि हम यहां के रहने वाले हैं, हमें भी वोट देने का हक है और वैसे उन पर कोई पाबन्द नहीं थी। उन्होंने उस गांव में भी वोट दे दिये। उन्हें यह किसी ने नहीं कहा कि क्योंकि तुमने उस गांव में वोट दे दिया है इसलिए इस गांव में वोट तुम नहीं दे सकते। पर इसका कोई वोटर लिस्ट नह होने से माकूल सुबूत नहीं था कि वहां वोट दिये कि नहीं। इस बिना पर उन्होंने कहा कि हमने उस जगह वोट नहीं दिया। आज हम तो यहां वोट देंगे। तो गांवों की स्थिति तो यह बन गई है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि इससे क्या क्या हो सकता है? वैसे एक तरह से तो ठीक हुआ कि रिश्तेदारों का सगे-सम्बन्धियों का बरसों का मिलना जुलना हो गया; जो अपने बहू बेटियों को सगे सम्बन्धियों को बरसों से नहीं बुलाते, खिलाते, पिलाते थे, बोलते थे, हंसते थे, वे इस पंचायतों चुनावों के दिनों में सब हिल-मिल लेते हैं, खा पी लेते हैं, बोल चाल लेते हैं, एक दूसरे की सार संभाल ले लेते हैं। किसी ने पूछा तो कह दिया गया कि सारे इस गांव के वासिन्दा हैं; और सारे के सारों ने वोट दिया यही हर गांव में होता है। तो पहले मेरा अर्ज करना यह है कि पहली सीढ़ी इस जगह से बनी कि बिना वोटर लिस्ट के चुनाव हो।

Page No.6

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, हम अमेन्डेड बिल पर बहस कर रहे हैं या गांवों पर बहस कर रहे हैं, जिसके ऊपर सदन में काफी बहस हो चुकी है। मैं माननीय अध्यक्ष का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा।

श्री भैरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस बात की ओर कि यह जो संशोधन प्रस्तुत किया है यह एक षडयन्त्र की आखिरी सीढ़ी है और वह सीढ़ी कैसे है; उससे पहले की सीढ़ी कौनसी है यही मैं बता रहा हूँ।

श्री मथुरादास माथुर—तो फिर आखिरी सीढ़ी पर ही कहिये न।

श्री भैरू सिंह—पीछे वाली का पहले पता नहीं, तो फिर आखिरी वाली पर कौन कैसे चढ़ेगा ?

श्री मथुरादास माथुर—यह तो सभी जानते हैं।

श्री भैरू सिंह—जानते नहीं हैं इसलिए तो जानकारी करा रहा हूँ। जानते होते तो ऐसी बात नहीं करते।

श्री अध्यक्ष—रिलेवेन्ट पोर्शन पर ही बोलिये।

श्री भैरू सिंह—मैं सूक्ष्म रूप से ही अर्ज कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—वह 'रिलेवेन्ट' टर्म क्या है ?

श्री भैरूसिंह—वही तो मैं अर्ज करने वाला था माननीय अध्यक्ष। पहली सीढ़ी, पहली कड़ी तो यह हुई कि बिना वोटर लिस्टों के चुनाव हुए।

इसके बाद में, चलो यह भी सब्र कर लें, या कर लेते कि चलो बिना वोटर लिस्टों के भी चुनाव हो गया तो हो गया; चलो कोई चीज नहीं पर इसके बाद दूसरी सीढ़ी बनती है और वह सीढ़ी यह बनती है कि आज तक भी किसी भी दुनिया में, किसी भी सरकार ने इस चीज को एन्टीसिपेट करके चुनाव नहीं कराये कि चुनावों में झगड़े होंगे; इसलिए रिटर्निंग अफसरों को यह अधिकार दे दिया जावे कि वे चुनाव ही पोस्टपोन करा दें। अगर ऐसा है तो मैं निहायत ही नम्र शब्दों में यह अर्ज करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ऐसी सरकार काम करने लायक नहीं है, वह सरकार अपना त्यागपत्र दे दे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी एवं व्यवस्था सूचक घन्टी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—Only to the relevant things, Useless matters should not be introduced.

श्री भैंरूसिंह—मैं धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चलकर आखिरी सीढ़ी पर आ रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष—"इस्तीफा दे दो, काम करने लायक नहीं" what is the relevancy of this..

श्री भैंरूसिंह—मैं 'सीढ़ी दर सीढ़ी' इसी पर आ जाता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर—आखिर सीढ़ी पर इस तरह से तो चढ़ते चढ़ते थक जाओगे।

श्री भैंरूसिंह—मैं नहीं थक जाऊंगा, आखिरी सीढ़ी पर तो आते आते आपका यह सारा षडयन्त्र खुल जावेगा। मैं थकूंगा या षडयन्त्र खुलेगा, ये दोनों चीजें देखने की हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि उसके बाद में उनको इस प्रकार के अधिकार दे दिये। उस अधिकार से जिस जगह सरकारी दल और सरकारी दल में एक विशेष गुट का कोई पंचायतों के चुनाव में नहीं आने वाला है तो हल्ला गुल्ला कर दो, जिसकी वज़ह से रिटर्निंग ऑफिसर को अधिकार दिया गया कि चुनाव पोस्टपोन कर दिये जायेंगे। चुनाव पोस्टपोन हुए। वोटर्स लिस्ट के बिना चुनाव हुए। उन्हें अधिकार दे दिया कि जिस जगह नहीं जीतते हैं तो दंगा-फिसाद करो और रिटर्निंग ऑफिसर को डरा दो ताकि वह चुनाव पोस्टपोन हो जायेंगे। उसके बाद में चुनाव पोस्टपोन होने के बाद में दूसरा चुनाव होता है तो उसमें जीत जाओ; दुबारा चुनाव हुआ और उसमें जीतने की उम्मीद नहीं थी तो फिर पोस्टपोन किया गया। तिबारा चुनाव में फिर जीतने की उम्मीद नहीं थी तो फिर तिबारा पोस्टपोन किए गए। जहां चुनावों में अपने सदस्य मनोनीत नहीं हो सकें तो सरकार को अधिकार है कि उस जगह अपने सदस्य मनोनीत कर दो; यह तीसरी सीढ़ी है उस षडयन्त्र की। उसके बाद में एक षडयन्त्र और चला जिसका इससे सीधा संबंध है। दो सीढ़ियां छोड़ कर उस षडयन्त्र की आखिरी सीढ़ी पर पहुँचता हूँ। इन दोनों बातों को छोड़ कर सरकार ने अधिकार ले लिया कि बिना जनता को राय लिए पंचायत क्षेत्र सरकार हमारी बनानी चाहती है कि किस तरह की कन्स्टीटुएन्सी हमें निर्माण करनी है, उस कन्स्टीटुएन्सी को वार्ड्स में किस तरह से विभक्त करना है, इसमें जनता को कोई राय नहीं ले। बिल्कुल राय नहीं लो। यदि जनता की राय लें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग के यूनिट्स बनेंगे वह पंचायतों के निर्माण से बनेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग के जो यूनिट्स बनेंगे यदि उन्हीं यूनिट्स की वास्तविक स्थिति आप देखेंगे तो जिस तरह कि कुछ माननीय सदस्यों ने कल बताया था कि एक पंचायत में १६०० आदमी हैं तो उसमें भी एक वोट देने वाला है और एक में ५० आदमी हैं तो उसमें भी एक वोट देने वाला है और एक में ५००० आदमी हैं तो एक ही आदमी उस जगह से लेंगे। एक गांव १५००० की आबादी का पंचायत क्षेत्र कर दिया तो एक-दो हजार का कर दिया। २००० वाले में भी १५ सीटें हैं, १५,००० वाले में भी १५ सीट हैं। यह सारा का सारा उस षडयन्त्र के आधार पर किया गया है कि एक गुट के दल के खिलाफ का कोई आदमी पंच नहीं बनाओ। पंचायतें गांव की शासन संस्था हैं। वहां का शासन उनके हाथ

[श्री भैरूसिंह]

में है। पंचायतों के द्वारा जिनका न्याय होगा उसमें दलबन्दी की भावना नहीं होनी चाहिये, जातीयता की भावना नहीं होनी चाहिये. लेकिन यह चीज उसमें नहीं है। उन पंचायतों के द्वारा हम तहसील पंचायतों पर अपना अधिकार करेंगे। उन पंचायतों में जितने पंच हैं उनके द्वारा हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर अधिकार करेंगे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तहसील पंचायतों और पंचायतों से होकर हमें विधान सभा और पार्लियामेंट की सीटों पर अधिकार करना है और उसके द्वारा राजस्थान और भारतवर्ष पर अधिकार करना है। इस षडयन्त्र को पूरा करने के लिये कॉन्स्टीटुएन्सी बनाने में, वार्ड्स बनाने में, पंचों की संख्या निर्धारित करने में न्याय संगत चीज की उपेक्षा होगी। उपेक्षा होगी वह भी सारा काम होगा। अब तक जनता के पास केवल एक अधिकार था जिसमें जनता ठंडी सांस ले सकती है। जनता यह कह सकती है कि किसी न किसी तरह से कोई दिक्कत आ सकती है, पंचायतों की कॉन्स्टीटुएन्सी निर्माण करने में, वार्ड्स बनाने में तो सरकार के पास जाकर वे पंचायतें या पंच अपील के नाते, दरख्वास्त के नाते, अपने एक नम्र निवेदन के नाते, चीफ पंचायत ऑफिसर और सरकार से निवेदन कर सकती हैं कि पंचायतक्षेत्र जो बना है उसमें अमुक गांव हमारे से १२ मील है, अमुक गांव १ मील है। एक मील दूर वाले गांव के क्षेत्र को हमारे साथ लगा दिया जाय और १२ मील की दूरी वाले गांव को दूसरे पंचायत क्षेत्र में लगा दिया जाय जो कि उसके नजदीक है। १४, १५ हजार के पंचायत क्षेत्र बना रखे हैं, उन पंचायत क्षेत्रों को छोटा करके उसको बराबर बांट दिया जाय। यह केवल सरकार के समक्ष उसका निवेदन करने का एक मार्ग था। वह सारे का सारा मार्ग इस संशोधन के द्वारा आज खत्म होता है। आज मंत्रीजी यह कहेंगे, जैसा कि कल भी एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया था कि जनता के अधिकार कैसे छीने जाते हैं? मारवाड़ की तहसीलों में जितनी बनी हुई पंचायतें हैं उससे हमें कोई काम नहीं है। मारवाड़ में दुबारा पंचायतें हो रही हैं। जनता का केवलमात्र एक अधिकार था, इस धारा के अन्तर्गत जो अधिकार दिया गया था। उस धारा के अन्तर्गत जनता या पब्लिक को दरख्वास्त करने का कि कान्स्टीटुएन्सी के निर्माण के संबंध में, वार्ड्स के विभाजन के संबंध में, पंचों की संख्या निर्धारित करने के संबंध में यदि कोई गलती हो गई है तो उसको प्रस्तुत करने का उनका हक था, तो वह सारे का सारा हक इस संशोधन से छीन लिया गया है। माननीय अध्यक्ष, इस हक के संबंध में यहीं हमारे सामने दो बातें हैं कि एक तरफ तो जनता का हक है और दूसरी तरफ मारवाड़ पंचायत एक्ट के मातहत बनी हुई पंचायतों का दुबारा चुनाव हो और चुनाव के अन्दर खर्चा हो, सरकार कह सकती है कि इससे प्रगति में बाधा हो रही है, यदि सरकार की प्रगति इसी प्रकार की है कि जो कुछ अधिकार दिये गये हैं उन अधिकारों को छीन लिया जाय तो वह प्रगति करे, अवश्य; करे मगर हमारा काम होगा इस प्रकार की प्रगति में बाधा डालना। बहुमत की शक्ति पर वह बाधाओं की परवाह नहीं करे और फिर भी प्रगति करे तो करे। लेकिन यह प्रगति नहीं होगी। जनता के अधिकारों को छीनने में कोई प्रगति नहीं होगी। मारवाड पंचायत एक्ट के नाते जो पंचायत क्षेत्र बने हुए हैं उनका दुबारा चुनाव कर लिया जाय। राजस्थान विधान सभा जब से बनी तब से लेकर आज तक १०-११ उप-चुनाव हुए हैं और एक एक चुनाव में काफी खर्चा हुआ है। मारवाड़ पंचायत एक्ट के आधीन बनी हुई पंचायतों का बार बार चुनाव होने से राज्य का खर्चा

[श्री भैरूसिंह]

लगता है। उस खर्चे की केवल परवाह करें कि अगर खर्चा करेंगे तो हमारे एक्सचेकर पर बोझ पड़ेगा या यह कहेंगे जितनी पंचायतें आज तक कायम हुई हैं वे खत्म हो जायंगी मारवाड़ पंचायत एक्ट के मातहत । तो मारवाड़ पंचायत एक्ट के मातहत कोरे मारवाड़ में ही पंचायतें बनी हुई हैं। राजस्थान में और भी रियासतें हैं और उन रियासतों में भी जनता रहती है और यदि केवल मारवाड़ के लिए सारी जनता के हकों पर कुठाराघात करते हैं तो मैं समझता हूं कि सब के अधिकारों का हनन होगा ; आज की इस मामूली सी बात को लेकर कि मारवाड़ पंचायत एक्ट के मातहत जितनी भी पंचायतें बनी हैं उनका दुबारा चुनाव होगा; तो कोई भी कानूनी एक्सपर्ट आज यह बता सकता है कि जो कुछ आज तक अधिकार था रिप्रेजन्टेशन करने लिए वह अधिकार खत्म होने के बाद आपने आगे इस कानून में कहीं उल्लेख नहीं किया है कि रहे। वह इसी अमेन्डमेन्ट के मातहत है; इसी धारा के मातहत हैं। यदि इस धारा में संशोधन कर दिया है तो ए टू ज़ेड तक पंचायत एक्ट को उठाकर देख लें; कहीं भी जनता को पंचायत क्षेत्र के संबन्ध में, वार्ड के विभाजन के सम्बन्ध में किसी जगह भी अपील करनी होगी तो कोई अपील की धारा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष, यह जोधपुर के आदमियों का षड़यन्त्र है; वह षडयन्त्र इसलिए है कि जो पंचायतें या वार्ड गलत बनाने के कारण, पंचायत क्षेत्रों को गलत निर्धारित करने के कारण, पंचों की संख्या उचित से ज्यादा बनाने के कारण, फिर भी यदि हमारे दल का कोई आदमी नहीं आये, दल के विशेष गुट का कोई आदमी नहीं आये तो उन पंचायतों को किस तरह से समाप्त किया जाय। उन पंचायतों को समाप्त करने का यह केवल मात्र एक ढोंग है जिनके अन्दर इनका बहुमत नहीं है, उनके दल का बहुमत नहीं है। जिन क्षेत्रों में विरोधी दल का बहुमत है उन क्षेत्रों को उठाकर दूसरे क्षेत्र में शामिल कर दिया जाय। यदि ऐसी बात नहीं है तो कोई ऐसा कानून है जो कि इस बातको रोकेगा; कोई हक नहीं है रोकने का जो हक हैं, जनता की ओर से अधिकार है वह इस कानून में नहीं रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन जो मारवाड़ पंचायत एक्ट के मातहत बनी हुई पंचायतों पर असर करने वाला ही हो, ऐसी चीज नहीं है। मारवाड़ के साथ साथ सारी राजस्थान की जनता का जो अधिकार है उसको हनन करने वाला है। यह बात नहीं है कि इसका दायरा मारवाड़ पंचायत एक्ट के मातहत बनी हुई पंचायतों पर है बल्कि सारे राजस्थान पर है। आप देखेंगे कि मारवाड़ एक छोटासा भाग है। तो आज मारवाड़ पर अधिपत्य करेंगे तो मारवाड़ पंचायत एक्ट के मातहत बनी हुई पंचायतें नहीं रहेंगी तो जिस भाग को जीतना है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जीतना है, यह जो कल्पना कर रहे थे, वह सारे का सारा गढ़ ढह जायगा। आज नहीं ढहेगा तो वह दिन आने वाला है जब कि आपके गढ़ जो कि पास से बने हुए हैं वह टूट कर रहेंगे। उसकी नींव मजबूत हो इस तरह की चीज नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर—गढ़ तो आप लोगों के हैं, हमारे नहीं।

श्री भैरूसिंह—वह बना लेंगे तब टूटेंगें।

Page No.10

श्री जसवन्तसिंह—है नहीं, बना रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर—बनने के बाद तोड़िये।

श्री भैरुसिंह—पंचायत एक्ट के मातहत जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जनता ने आपके पाप के गढ़ को तोड़ा है।

(घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि केवल एक बात कहूंगा कि हमारे सामने जो पंचायतों का चुनाव दुबारा होगा तो उससे उनके काम में बाधा आयेगी। लेकिन दुबारा चुनाव से बाधा नहीं आयेगी। आपके सामने एक दिक्कत है कि मारवाड़ पंचायत एक्ट के अन्तर्गत जितनी पंचायतें का निर्माण हुआ है उसी आधार पर पंचायत क्षेत्र रहता है तो आपके दल के लोग नहीं आ सकेंगे, आपकी तहसील पंचायतें नहीं बन सकेंगी, आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर अधिकार नहीं हो सकेगा। पंचायतों पर आपका अधिकार नहीं हो सकता है तो विधान सभा में आप नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार की जो आपकी कल्पना है, उस षड्यन्त्र को पूरा करने के लिए जो जो मारवाड़ पंचायत एक्ट के अन्दर, खासकर बर के रहने वालों के अन्दर यह संशोधन लाकर मामला बताया जाता है।

आप भले ही इसे मामूली चीज समझ सकते हैं, मामूली आपके नजदीक होगी पर दुनियां के नजदीक यह मामूली नहीं है। जिससे जनता को राजनैतिक अधिकार दिये गये हों उनको सुविधा प्रदान करने वाली चीज इस कानून में हो तो उस पर हम कोई आघात नहीं करते।

इस दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष, कि जिस संशोधन को मामूली ढंग से सोचते हैं तो उस मामूली ढंग से मारवाड़ पंचायत एक्ट के नीचे बनी पंचायतों का संशोधन करना है और यह आपको करना पड़ेगा; अगर मारवाड़ से इनको विशेष प्रेम है तो वह संशोधन कर दें; पर जो हमारा अधिकार है उसको क्यों छीनते हैं? उन्होंने सारे के सारे नियम बनाने में जितनी कोताई, जितनी कंजूसी बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि जितनी चालाकी नियम बनाने में की है उसमें आखिरी कड़ी यह जोड़ दी है कि सरकार को अधिकार है कि जनता को जो अधिकार हैं उनमें सरकार जो हेर फेर करना चाहे कर सकती है। बल्कि हम अपनी इच्छा से हेर फेर करके उन दूसरे पंचों को बाहर निकाल दें जिनका कि बहुमत है। यदि आपको इस प्रकार का संशोधन लाना है, मारवाड़ में पंचायतें बनाई उनके लिये तो इसको दूसरे ढंग से कर सकते हैं। पर जो हमारा भविष्य का अधिकार हैं उनको छीनने के लिये जो कानून रद्द करार दिया गया उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस संशोधन के जरिये जायज करवाना चाहते हैं; यह सरासर अन्याय है, हमारे भविष्य के अधिकार क्यों छीनते हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि यदि हम इस प्रकार का संशोधन पास नहीं करा सके तो हमारे जीतने की उम्मीद नहीं है। तो इसके लिये आपके पास और तरीके हैं पर हमारा अधिकार क्यों

[श्री भैंरूसिंह]

छीनते हैं, हमारा आगे का अधिकार है उस पर क्यों हथियार चलाते हैं, इस अधिकार को क्यों छीनते हैं? आपके नजदीक यह मामूली है पर हमारे नजदीक यह इस पंचायत कानून के अन्दर षडयन्त्र की जो कड़ी से कड़ी मिली हुई है, उस षडयन्त्र की यह आखिरी कड़ी है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अब तक षडयन्त्र किया है, इसी पर पूरा जोर लगावें ताकि वह सारा का सारा षडयन्त्र खत्म हो जाय और जिस राम-राज्य और पंचायती राज्य की बात करते हैं वैसा वास्तविक राम राज्य हो।

इसलिये मैं दुबारा प्रार्थना करूंगा कि पंचायत के दल-दल में जिन्हें कल न्यायमूर्ति बनाने की चेष्टा की गई थी वे कहीं इस षडयन्त्र में न फंस जांय। सम्बन्धित मन्त्री महोदय सोचेंगे तो निश्चय हो जायगा कि यह संशोधन एक प्रकार का षडयन्त्र है। माननीय अध्यक्ष, यदि इसकी धारा को देखेंगे तो इसमें लिखा है...

श्री अध्यक्ष—जनरल प्रिंसिपल्स पर बोल रहे हैं या संशोधन पर बोल रहे हैं या क्लॉज़ पर बोल रहे हैं वह जब क्लॉज़ आई क्लॉज़ आयेगा तब बोलियेगा।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या संशोधन करना चाहते हैं, यह इसी तरह बता सकते हैं। यह तो इस चीज को बताने में आयेगा ही साहब।

श्री अध्यक्ष—So for as it relates to the discussion on general principles it can be explained but not the details.

श्री वेदपाल त्यागी—Details about the clauses themselves will not be discussed.

श्री अध्यक्ष—There are only two clauses.

श्री भैंरूसिंह—दो हैं साहब, पर दोनों की जान एक है, इनको निकाल देने से सारा पंचायत कानून निकम्मा है। गांवों में इसके कारण मतभेद हैं वे और बढ़ेंगे और जो झगड़े हैं वे और फैलेंगे। यदि इस चीज को निकाल दिया गया तो हमारे सारे अधिकार छीन लिये गये।

पंचायत में हर पंच को अधिकार होगा। पंचायत अगर कोई प्रस्ताव पास कर दे कि अमुक गांव अमुक स्थान से दूर है और हमारी पंचायत क्षेत्र के नजदीक है तो इसको हमारे शामिल कर लिया जाय और अमुक गांव हमारे से दूर है और अमुक पंचायत से नजदीक है इसलिये इसको हमारे पंचायत क्षेत्र से अलग कर दिया जाय, ऐसा प्रस्ताव वह पंचायत सरकार के पास भेजती है, सरकार चाहे उसे सुने या न सुने, यह सरकार की मर्जी है। सरकार कहती है कि तुम्हारा इस प्रकार का

[श्री भैंरूंसिंह]

प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है, या मंजूर है, यदि यह संशोधन पास हो गया तो। वरना वह पंचायत जो है उसको अधिकार होगा कि जिस समय उचित समझे सरकार के पास क्षेत्र को बदलने का प्रस्ताव रखे, पर जैसे कि इसमें ये शब्द हैं : "at the request of the Panchayat or of the residents of any panchayat circle, village or area"

इन शब्दों के कारण सरकार कोई आर्बीट्रेरीली कर ले, ऐसी बात नहीं है; बल्कि लोगों की इच्छा पर पंचायत चाहे तो चीफ पंचायत ऑफीसर या सरकार को अधिकार है कि इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। ये शब्द हटा दिये गये तो सरकार चाहेगी वैसा करेगी। पंचायत को दरख्वास्त आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो भी कोई खास बात नहीं; वह तो अपने पक्ष को बात देखेगी तभी पंचायत में हेर फेर कर देगी।

इसलिये दुबारा निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का जो हमारा अधिकार है उसको छीनने की चेष्टा न करें, बहुमत के जोश में इस अधिकार को न छीनें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को स्वीकार न किया जाय और जनता की राय के लिये प्रसारित किया जाय।

"at the request of the Panchayat or of the residents of any Panchayat circle, village or area" ये जो शब्द हैं इनका जनता से सीधा संबंध है। जनता क्या राय देती है? अगर जनता चाहती है कि हमारे अधिकार छीन लिये जायं तो छीन लें, नहीं चाहती तो इसे स्वीकार न किया जाय। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को जनता की राय के लिये प्रसारित कर दिया जाय।

अब सवाल रहा ऑर्डीनेन्स का। ऑर्डीनेन्स चूल्हे में जाय, चाहे खत्म हो जाय, हमें परवाह नहीं। बिना सदन को पूछे राजप्रमुख ने आपके कहने से बना दिया, विधान सभा ने नहीं बनाया, विधान सभा पर कलंक नहीं आया। इस ऑर्डीनेन्स को खत्म करें या तो कोई बुरी चीज नहीं होगी क्योंकि आपके कई हथकंडे हैं, जिनसे आप तहसील बोर्डों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में जीत सकते हैं, जीतते हैं और जीतते रहे हैं, आपने इन चुनावों को जीतने की एक क्रिया बना रखी है, वह चलती ही है; इसलिये आपको संशोधन की चिन्ता करना आवश्यक नहीं।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को जनता की राय के लिये प्रसारित कर दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, सदन में दो दिन से इस अमेंडमेंट बिल के बारे में बहस चल रही है। वैसे आज-कल जयपुर शहर में डाक्टरों की राय है कि यहां पर जोन्डिस (Jaundice) की बीमारी का जोर है।...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हाउस में भी?

Page No.13

श्री मथुरादास माथुर—मैं आ रहा हूँ। बीमारी बहुत तेज है और गांवों में चारों तरफ लोग पीले ही पीले नजर आते हैं, पर कल से मैं भी ऐसा महसूस कर रहा हूँ ..

श्री भैंरूसिंह—शायद आपको भी पीलिया हो गया है ?

श्री मथुरादास माथुर—आपका साफा देख कर।

(हंसी)

कुं० श्री जसवंतसिंह—यह पीला जयपुर में रहने वालों को ही दिखता है या जयपुर में नहीं रहने वालों को भी दिखता है ?

श्री मथुरादास माथुर—मैं आ रहा हूँ। लेकिन कल से इस सदन में मैं ऐसा महसूस करने लगा हूँ, माफ कीजिये, पोलिटिकल जोन्डिस नजर आ रहा है और कुछ साथी पूरे जोर के साथ इस बात को कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार बड़ी अनडेमोक्रेटिक है और एक साथी ने तो यहां तक कहा कि एक बड़ा षडयन्त्र है। यह कहना वे भूल गये कि यह षडयन्त्र वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स है, उनके खिलाफ है या जनता के खिलाफ है ? मेरा खयाल है कि उनकी यह राय होगी कि यह वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स के खिलाफ है।

श्री भैंरूसिंह—नहीं, जनता के खिलाफ है।

श्री मथुरादास माथुर—तो मैं स्वीकार करता हूँ कि जो पंचायत एक्ट सदन ने बनाया है वह एक बहुत ही डेमोक्रेटिक कदम हिन्दुस्तान में लिया गया है और हिन्दुस्तान के जिन लोगों ने इसे पढ़ा है उन्होंने इसकी ताईद और तारीफ की है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष, सबसे पहले जब कि मि० जोनमथाई यहां तशरीफ लाये थे और उनसे इस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी तो उन्होंने पंचायत एक्ट के बारे में कहा कि यह एक ऐसा कदम है जो हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र के नाम पर और प्रजातन्त्र शासन कायम करने के लिये एक बहुत अच्छा कदम है। जब इस तरह के बाहर के लोगों की इसके बारे में राय है तो फिर माननीय अध्यक्ष, सदन में इस एमेन्डेड बिल पर सदन के सदस्यों को क्यों शंका होनी चाहिये ? क्या शंका हो सकती है ?

श्री भैंरूसिंह (१६)—डॉ० जोनमथाई को पंचायत के नियम आपने नहीं बताये थे।

श्री वेदपाल त्यागी—आपने उनको एमेन्डेड बिल जो मौजूदा है नहीं बताया था।

श्री भैंरूसिंह—आपने उनको पंचायत के नियम और यह एमेन्डमेंट नहीं बताये . . .।

श्री माथुरदास माथुर—मैं इस एमेन्डेड बिल पर भी आ रहा हूँ, । जरा आप संतोष रखिये। एमेन्डेड बिल जो हमारे सामने हैं वह बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेप है।

Page No.14

[श्री मथुरादास माथुर]

("हिअर हिअर" विरोधी दल की तरफ से आवाज)

और माननीय अध्यक्ष, इस पर सदन के विरोधी दल नेता ने और जोधपुर से आनेवाले साथी ने जो कल कहा और अभी आज पूर्व वक्ताओं ने जो कहा, मैं उनके कथन का खंडन करते हुए कहूँगा; उन्होंने जो इसको षडयंत्र बताया यह कोई षडयंत्र नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं वे लोग यह चाहते हैं कि पंचायत शासन न रहे और जो कुछ पंचायतें आज तक कायम हुई हैं और जो कुछ हुआ है वह एक दो साल के लिये बन्द हो जाए और पंचायतों का काम भी बन्द हो जावे और राजस्थान में १६०० पंचायतें जो हाई कोर्ट के फैसले से इफेक्टेड होती हैं वे अपना काम बन्द कर दें। वे लोग यह चाहते हैं कि जो सरकार ने उनको रुपया दिया है और पंचायतें कायम हुई हैं वे पंचायतें खत्म हो जावें। इस तरह की विचार-धारा रखने वाले लोग बार-बार यही कोशिश करते हैं कि एमेन्डमेंट पास न हो और ऑर्डिनेन्स रद्द हो जावें और उसको दफना दिया जावे। इस पंचायत एमेन्डमेंट बिल को पास न करने का यह नतीजा होगा कि १६०० पंचायतों में, पंचायत क्षेत्रों में जहां पर पंचायतें काम कर रही हैं, जिनको सरकार की तरफ से धारा ८६ के अन्तर्गत कुछ एड मिल रही हैं और वे अपना काम कर रही हैं और उन्होंने काम करके फैसले दिये हैं वे सब रद्द हो जाते हैं और अगले दो साल तक जब तक कोई अमेन्डमेंट बिल पास नहीं करते ये काम नहीं कर सकते और खत्म हो जावेंगी। यह एमेन्डमेंट बिल सिर्फ मारवाड़ और भरतपुर पर ही लागू नहीं होता। यहां पर मारवाड़ और भरतपुर का प्रश्न नहीं है यह दूसरों पर भी लागू होता है। मारवड़ में सबसे पहले पंचायतें कायम हुई यह कोई नई बात नहीं है और वहां पर सबसे ज्यादा पंचायतें हैं। इस राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले से १६०० पंचायतें इफेक्टेड होती हैं। अगर यह एमेंडमेंट बिल पास नहीं करें तो इसके माने यह होंगे कि राजस्थान में जहां बहुत बडी तादाद में पंचायतें कायम हो चुकी हैं और इस फैसले से इफेक्टेड होती हैं वे खत्म हो जावेंगी और...

कुं श्री जसवन्त सिंह—Thanks to you.

श्री मथुरादास माथुर—Thanks to yourself. I am coming to that also.

१६०० पंचायतों में जो पंच काम कर हैं और जिनमें ५ या ६ हजार गांव इफेक्टेड हैं उनको सरकार द्वारा जो सहायता दी गई है और जो जो टैक्स उन्होंने लगाये हैं, कानून बनाये और फैसले दिये हैं वे सब बेकार होंगे और एक प्रकार से एनार्की पैदा होगी। मैं उन सदस्यों का ध्यान उनके भाषण की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर उन्होंने पंचायत एक्ट की दुहाई दी है और उन लोगों से कहूंगा कि आप क्या पंचयत शासन चाहते हैं या उसको खत्म करना चाहते हैं? मैं यह अर्ज करना चाहता हूं माननीय अध्यय, मैं समझ सकता हूँ कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य एनार्की चाहते हों; मगर जब विरोधी दल के नेता ने इस पर कहा तब मुझे उनके भाषण को सुन कर बहुत दुःख हुआ। जब उनसे पहले चर्चा करके इस प्रकार

[श्री मथुरादास माथुर]

का ऑर्डिनेन्स और कानून बनाया गया तो उसके बावजूद भी वे इस सदन में खड़े होकर ऐसा कहें, यह उचित नहीं प्रतीत होता। मैं आशा करता था कि आपकी सौबत से जोधपुर के सदस्य के विचार अवश्य बदलेंगे, मगर नतीजा उल्टा ही नजर आता है, उनके विचार बदले नहीं। उनका यह नारा है कि इस ऑर्डिनेन्स को दफना दिया जावे। यह एक इन्सट्रूमेण्ट है जिसे, हाई कोर्ट फैसले से गांवों में जो एनर्की होने वाली थी उससे बचाया जाये। माननीय अध्यक्ष, मैं सभी सदन के माननीय मित्रों से अर्ज करना चाहता हूं कि इसको इस नुक्ते निगाह के नहीं देखा जावे।

श्री भैंरूसिंह—मारवाड़ के नुक्ते निगाह से देखा जावे।

श्री मथुरादास माथुर—मारवाड़ के नुक्ते निगाह से नहीं, राजस्थान की निगाह से देखा जावे; जिसमें १२०० पंचायतें कायम की हैं। मारवाड की ही नहीं भरतपुर के क्षेत्र को भी देखा जावे। जयपुर में भी पंचायतें है। कुल मिला कर १६०० पंचायतें हैं। मैं समझता हूँ कि आपको इसका पूरा ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर क्षेत्रिय भावना से नहीं देखना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष, मैं अर्ज करना चाहता हूँ और बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने यह बात बहुत गौर से देखी है कि हाई कोर्ट के रूलिंग से किन किन पर असर होगा। अगर यह एमेन्डमेंट बिल नहीं आता तो सब काम जो इन १६०० पंचायतों में हुआ हैं खत्म हो जाता। इसलिए यह जरूरी है कि यह जैसा है वैसा पास हो। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जनता के अधिकारों पर इससे कोई कुठाराघात होता है। यह हमारी एक प्रणाली हो गई है भाषण देने की, जिसमें यह कहा जाता है कि जनता के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। कोई भी बात जनता के नाम पर कुठाराघात की कह दी जाती है और यह एक प्रकार से हमारा तकिया कलाम हो गया है कि इस प्रकार से कह कर पब्लिक गेलेरी को प्रभावित करें कि जनता पर कुठाराघात हो रहा है। मगर यह पब्लिक के हक्कों पर कुठाराघात है या पब्लिक के हकों का प्रोमोशन है; यह तो आप; खुद और पब्लिक सोच सकती है।

यह कहा गया है कि आखिर नई पंचायतों पर तो यह लागू नहीं होता। यही कानून की बारीकी है। जहां पंचायतें नहीं थीं उन एरियाज़ में यह एमेंडमेंट बिल लागू नहीं होता। यह उन इलाकों पर लागू होता है जहां पर इस एक्ट के मातहत नई पंचायतें बनीं उसके पहले अलग अलग जगह पंचायतें कायम थीं।

बर की पंचायत की मिसाल दी गई है और हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है। मैं यह कहूँगा कि पहले हमारे यहां मारवाड में हर गांव में एक एक पंचायत होती थी। बर भी एक गांव था। दफा दद के हिसाब से इस क्षेत्र के रहने वाले लोग सरकार को दर [illegible] देते कि वे लोग

[श्री मथुरादास माथुर]

इस पंचायत क्षेत्र को कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। लोग उस पंचायत क्षेत्र को कम कर सकते या बढ़ा सकते थे। यह कानून की बारीकी की बात थी। यह भैरूंसिंहजी के समक्ष में नहीं आवेगी। उस वक्त सरकार का इससे यह मकसद था और न सरकार को यह करना चाहिये था कि सरकार सूवो मोटो ऐसा करती। सरकार को इन क्षेत्रों को घटाने या बढ़ाने की बात नहीं थी। इसलिये बर की पंचायत के लोग इसके लिए दरख्वास्त दें कि हमारी इस पंचायत का विस्तार किया जावे तब सरकार एक महीने का नोटिस देकर उस पर अपना फैसला करे, यह दफा ८६ कहता है। मैं यह कहूँगा कि बर की पंचायत ने पंचायत सेन्टर को बर में ही चाहा क्योंकि लोग यह चाहते हैं कि हमारे गांव का ही आदमी रहे और गांव में ही पंचायत रहे और जब तक कोई दरख्वास्त नहीं आवे तब तक सरकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इस अमेंडमेंट बिल में यह अधिकार है कि यह सरकार को अधिकार है कि वह खुद बगैर एप्लीकेशन आये ही कर सकती है। पब्लिक को भी अधिकार है, कोई भी इसके लिये मूव कर सकता है। आखिर में अल्टीमेटली सरकार को ही अधिकार है। यह कार्यवाही न हो और न पंचायत क्षेत्र सरकार बनाए। श्री भैरूंसिंहजी को सबसे बड़ा दर्द यह है कि पंचायत क्षेत्र ऐसे बनाये गये जिससे जिनको वे चाहते थे वे नहीं आये और जिनको नहीं चाहते थे वे लोग आ गये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ज्यादातर उधर हैं।

श्री मथुरादास माथुर—हम तो इसलिये नहीं है कि हमारे साथी सब जगह आते हैं।

श्री भैरूंसिंह—षडयन्त्र से।

श्री मथुरादास माथुर—कोई पार्टी बेसिस पर चुनाव नहीं लड़े गये इसलिये उनको दर्द नहीं होना चाहिये।

श्री हिम्मत सिंह—यह बात सही नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर—गलत फहमी है तो दूसरी चीज़ है, लेकिन यह कानूनी चीज़ है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि पंचायतों के रिएस्टेब्लिश करने के लिये हाई कोर्ट ने फैसला दिया, वह गलत बात हुई; रिएस्टेब्लिशमेंट और रिकोन्स्टिट्युशन में उन्होंने फर्क बताया। जो पंचायतें बनी और जिनका क्षेत्रफल कायम हुआ वे गजट में शाया किये गये और उनमें वर्जिन एरिया और दूसरे शामिल हैं। वह लिस्ट शाया हुई, उसके लिये प्रोविजन है। उन पर कई लोगों ने क्रिटिसिज़्म अपना भेजा, कइयों ने ओब्जेक्शन्स किये और उनके ओब्जेक्शन्स सुने गये। ३० मई के गजट में वह शाया हुई। माननीय सदस्य को उस वक्त जरूर एलर्ट रहना चाहिये और वे एतराज उस वक्त पंचायत क्षेत्र में करते जैसा कि अन्य लोगों ने किया, उनमें एमेंडमेंट हुए,

[श्री मथुरादास माथुर]

पंचायत क्षेत्र बदले गये। तो यह भी उस वक्त हो सकता था। इसलिये जो दलील दी गई है वह यहां लागू नहीं होती है। यह उन क्षेत्र में होता है कि जहां पंचायतें थीं और जिन पंचायतों का और उनके क्षेत्र को बदलने का अधिकार लोगों को था और दरख्वास्त लिये बगैर कर दिया और इसलिये यह टेक्निकल पॉइन्ट अराइज़ हुआ।

इसको समझने के बाद अगर उनको खतरा है कि हमारा गांव छोटा है, पंचायत का क्षेत्र छोटा है तो उस वक्त उनको इस बात के लिये एलर्ट रहना चाहिये था।

श्री भैंरूसिंह—एतराज किये ही नहीं, सुनने का मौका ही नहीं दिया और जानने के सिवाय उस पर ध्यान भी नहीं दिया।

श्री मथुरादास माथुर—मैं यह मानता हूँ कि ध्यान नहीं दिया गया होगा और वह अलग चीज़ है। इस अमेन्डमेंट बिल में उसके लिए क्या ओब्जेक्शन है ? आपने ये अधिकार दे दिये हैं राज्य सरकार को।

श्री भैंरूसिंह—सेक्शन ८६ को पढ़कर देखें कि ये अधिकार हमें आज भी हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—There Should be no interruption when one hon'ble member is speaking.

श्री मथुरादास माथुर—८६ ऐसी कोई लम्बी धारा नहीं है। मैंने उसको पढ़ा भी है और समझा भी है।

श्री भैंरूसिंह—समझे नहीं।

श्री अध्यक्ष—Order please. !!

श्री मथुरादास माथुर—मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि उसमें ८६ का प्रश्न नहीं है। यह वह सवाल है कि ये लिस्टें दो दफा गजट में शाया हुई हैं एक तो ३० मई को और उससे पहले। यह हो सकता है कि हमारे सुझावों पर सरकार ने उन क्षेत्रों को तब्दिल नहीं किया हो, अधिकार सरकार को दिये गये हैं, पुराने एक्ट में वे सदन द्वारा दिये गये हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि माननीय सदस्य जो कहें उसको ही सरकार मंजूर करे, अगर उनका सजेशन मान लें तो सरकार डेमोक्रेटिक है और अगर नहीं माने तो अनडेमोक्रेटिक है। ऐसी बातें प्रजातन्त्र में नहीं चलतीं। आपने जो अधिकार सरकार को दिये हैं और जिस प्रकार की बहस की गई है उस सम्बन्ध में मैं यही अर्ज करूंगा कि यह

[श्री मथुरादास माथुर]

आखरी सीढ़ी है और उससे आगे पैर रखा गया तो गिरने का खतरा है। प्रश्न खुद पैदा करना और उसका जबाब देना और दूसरों के मुंह में डाल देना, यह तो एक विचार करने का और दलील करने का तरीका नहीं हो सकता है।

तीसरी बात मुझे इस सम्बन्ध में जो अर्ज करनी है वह यह है कि खतरा आप मान कर बैठ गये हैं। अगर उस वक्त नई पंचायत वालोंको, बनाम बर जिसका कि एक खास विषय बन गया है, कहा गया कि पंचायत को नहीं पूछा गया, नई बना दी गई, एक महीने का नोटिस नहीं मिला। मैं अर्ज करूंगा कि बर की पंचायत का पूरा क्षेत्र सरकार ने गजट में शाया किया था। एक महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया, यह मैं मानता हूँ और इसलिए यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है ताकि कोई अनार्की न हो, पंचायती शासन में कोई गड़बड़ी न हो और स्वायत्त शासन को अच्छी तरह से कायम किया जा सके। भविष्य में यह इच्छा नहीं है कि इस प्रकार की बात हो और अगर कहीं भी ऐसी चीज़ आये तो मैं अदब के साथ सरकार से अर्ज करूंगा और माननीय मंत्रीजी से अर्ज करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। आप जितने प्रजातन्त्र के हामी हैं उतना तो मैं होसला नहीं रखता।

(विरोधी पक्ष द्वारा "हियर, हियर" और करतल ध्वनि)

मैं अर्ज करूं कि आप विचारों में ही रहें, हमने प्रजातन्त्र कायम करने का प्रयत्न किया।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—गोआ गये थे आप?

श्री मथुरादास माथुर—गोआ तो दूर रहा। यह अलग प्रश्न है, लेकिन आप गोआ से तशरीफ ला रहे हैं।

(हंसी)

और हम आपके स्वागत के लिये तैयार हैं।

(विराम)

लेकिन गांवों के प्रश्न को कहने का हौसला कई सदस्यों को मिला है तो यह किन की वजह से मिला है, यह आप सोच लें।। तो मैं इतना ही अर्ज करूं आप से कि यह प्रजातन्त्र पर कुठाराघात नहीं है और भविष्य में जो पंचायत क्षेत्र बन गये हैं उनको अगर तब्दील करना होतो वह जनता की दरख्वास्त पर होना चाहिये। लेकिन इस प्रकार की जो ग्लेरिंग मिस्टेक्स हो गई है तो उनको कन्ट्रोल करने के लिए सरकार को अधिकार देने चाहिए। सरकार और प्रजातन्त्र में कम से कम डिफरेन्स है। जैसी कि उधर से साथी पोलिटिकल प्रोक्सी कर रहे हैं, यह हमारे लिये ठीक नहीं।

[श्री मथुरादास माथुर]

(हंसी)

पंचायत क्षेत्र बन गए हैं। पांच गांव एक क्षेत्र में हैं। एक गांव इत्तिफाक से दूर है। ३००० पंचायतें बनी हैं।

श्री भैंरूसिंह—इस संशोधन से जनता के अधिकार रह जावेंगे।

श्री मथुरादास माथुर—अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो इसमें जनता और सरकार दोनों को अधिकार है।

श्री भैंरूसिंह—नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर—ये बारीकी की बातें हैं, आप गौर से पढ़ें।

फिर माननीय अध्यक्ष, मैंने यह सरकार से अर्ज किया है और यह अर्ज कर रहा हूँ कि ये बारीकी की बातें हैं और ये बातें समझ में न आवें तो मोटे तरीके से समझा दिया जाय और ये तीनों वर्ड रख दिये जांय और सरकार को सुवो मोटो (suo moto) करने के अधिकार रख दिये जांय। फिर भी आपकी तसल्ली के लिये इस बारीकी में न पड़ कर और मोटे तरीके से आपके संतोष के लिए इसमें ये तीनों शब्द रख दिये जांय और साथ में "सुवो मोटो" सरकार को भी अधिकार रहे, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाय।

उसके अलावा मारवाड़ में पुरानी पंचायतें बनी हुई थीं। उसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि आपने नाराजगी के साथ कहा और मारवाड़ पर महरबानी की, थोड़ा बहुत अन्न मारवाड़ का आपके पेट में भी तो गया है।

तो उसको तो रेगुलर कर दिया जाय और आगे के लिए प्रोटेक्शन दे दिया जाय। इससे डेमोक्रेसी हाथ में रह जाती है, स्वायत्त शासन हाथ में रह जाता है। जो अनार्की फैलाना चाहते हैं वे मौजूद नहीं हैं, इस तरह के कीटाणु फैले, ८ तारीख के बाद तो हो सकता है...

(हंसी)

अतः मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह की बात है तो सरकार भाषा को ठीक करके उसका सुधार करे। हम यह नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ हो।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष....

Page No.20

श्री अध्यक्ष—और डिस्कशन होगा क्या ?

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—यह तो बहुत इम्पोर्टेन्ट है ।

कई माननीय सदस्य—डिस्कशन अभी होना चाहिए साहब। अभी थोड़ा ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष—थोड़ा ही हुआ है तो थोड़ा कहा जाय ।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, इस विषय में कल से चर्चा हो रही है और आज माननीय मथुरादासजी माथुर ने एक नई विचार-धारा यहां पैदा की है ।

श्री मथुरादास माथुर—यह मेरी हमेशा से है ।

श्री वेदपाल त्यागी—(अपना भाषण जारी रखते हुए) This is an exception for you, जो शायद आप हमेशा से कहते भी आ रहे हैं ।

उन्होंने यह बताया कि पोलिटीकल जोन्डिस यहां हो रहा है । मैं यह समझता हूँ कि डॉक्टर्स जो जोन्डिस को पहचानते हैं और पहचानने वाले हैं उनको भी जोन्डिस हो रहा है चाहे मरीज को हो या न हो लेकिन उनकी निगाहों में सब जगह फैल रहा है ।

यह डॉक्टर्स जोन्डिस है, जिसकी वजह से सब पीला ही पीला ही नजर आने लगा है ।

बारीकी का जिक्र किया गया और कहा गया कि अगर इस कानून को बारीकी के साथ देखा जाय तो हमको यह पता लगता है कि आज हम इस संशोधन द्वारा लोगों के वे विचार अधिकार छीनना चाहते हैं जो इस कानून को सुचारू रूप से चलाने के लिए निहायत जरूरी हैं । पंचायतें जैसी एक दफा एस्टेब्लिश हो जाती है उसमें तरमीम करना, यह मैं समझता हूँ, अधिकार गवर्नमेंट कभी नहीं दिये जाने चाहिये । यह ठीक है कि बर के फैसले से बहुत सी पंचायतों को अवैध घोषित को किया जायगा हालांकि वे अपने आप तो अवैध नहीं हो जातीं । कोई भी चाहे हाई कोर्ट में जा सकता है और जिस आधार पर बर की पंचायत को अवैध घोषित किया गया है उसी आधार पर अन्य पंचायतों को भी अवैध करार दिलवा सकता है किन्तु उनको वैध घोषित करने के लिये यह जरूरी नहीं कि इस प्रकार का संशोधन अपने एक्ट में करें जिससे लोगों को जो अधिकार पंचायत एक्ट द्वारा प्राप्त हैं उनको वंचित कर दें । मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो चीख पुकार किया जा रहा है उसकी पृष्ठ भूमि को देखा जाय तो जो कुछ भी इस तरफ बैठने वाले सदस्यों ने बातें कहीं है उसको हम जस्टिफाइ कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में जो पिछले अनुभव हुए, हमने यह देखा कि जो पुरानी पंचायतें थीं उनको नया बनाया गया और जहाँ पर नहीं थीं वहां नई पंचायतें कायम की गईं । इन पंचायतों को कायम करने के लिये किस प्रकार पंचायत

[श्री वेदपाल त्यागी]

विभाग ने और पंचायत विभाग के मंत्री महोदय ने जो गडबडियां कीं उससे लोगों को यह सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक है । अगर इस प्रकार के अधिकार सरकार को दे दिये गये कि वह चाहे जिस पंचायत को तोड़ दे या वार्ड इधर उधर बदल दे तो यह एक प्रकार के पंचायत राज की जड़ को काट कर रख देते हैं । जिस प्रकार पंचायतों के वार्ड कायम किये गये उनको स्क्रुटनाइज़ करके देखा जाय तो यह सही तौर से पता लगेगा कि उनको बनाने में किसी सिद्धान्त को आधार नहीं माना गया, केवल चन्द लोगों को स्यूट करने के लिये इस प्रकार के वार्ड्स बनाये गये । एक गांव में पंचायत का क्षेत्र है लेकिन उसके पास का गांव दूसरी पंचायत में मिला दिया जाता है । वे इसलिये मिला दिये जाते हैं कि जिन लोगों को रूलिंग पार्टी चाहती है कि वे इलेक्शन में आयें उनको लाने के लिये ये सब गड़बड़ियां की गई हैं, यह हमारा एक्सपीरिएन्स है । इस सम्बन्ध में मैं चन्द बातें आपको प्रमाण सहित बताउंगा जिससे आपको पता लग जायगा कि पंचायतों के वार्ड किस आधार पर बनाये गये । इसमें पंचायत विभाग ने और पंचायत मंत्रालय ने किस किस प्रकार की गड़बड़ियां कीं मैं उन सब का हवाला देकर आपको बताऊंगा । मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया मैं आपको यह बताऊंगा कि जातिवाद को पोषण देने के लिये किस प्रकार से पंचायत के वार्ड बनाये गये ।

मैं अभी कुछ दिनों पहले झूंझनू जिले के वार्ड्स को देख रहा था । वे किस प्रकार बनाये गये वहां किस किस प्रकार से पंचायतें बनाई गईं; मामूली तौर पर मैं दो चार चीजें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिससे सदन को यह पता लग जायगा कि अगर गवर्नमेन्ट को इस तरह के पॉवर्स दे दिये गये, वह चाहे जिस प्रकार पंचायतों के वार्ड्स में हेर फेर कर सकती है यह ऐसा काम होगा जिसमें आप जनतन्त्र की नींव को काटने का काम सौंप देंगे । यह ठीक है कि आपको कुछ पंचायतों के लिये जिनको अवैध घोषित कर दिया है या किये जा सकते हैं उनको वैध घोषित करना है तो आप इस प्रकार के अधिकार लेकर वैध घोषित नहीं कर सकते; आप इस प्रकार के अधिकार लेकर तो पंचायतों में जिस प्रकार भी हस्तक्षेप करना चाहेंगे इसके द्वारा कर सकते हैं । मैं आपको झूंझनू का जिक्र करते हुए बताऊंगा कि आपने क्या आधार रक्खा है वार्ड बनाने का । मैं आपको बताऊंगा कि कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिनकी बहुत कम जन संख्या है और उसमें पंचायतों के पंचों के बहुत ज्यादा नंबर रखा गया है और कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिनकी बहुत जन संख्या है और जहां से बहुत कम पंच कायम किये गये हैं, यह इसलिये कि पंचायत के आधार पर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन होंगे, लिहाजा उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उन लोगों का मत हो सके जिनको ज्यादा बहुमत पंचायतों में मिला हो ।

एक पंचायत तेन है जिसकी आबादी तीन हजार की है और वहां पर १२ पंच मुकर्रर किये गये हैं । मेहणसर एक पंचायत है जिसकी आबादी २६५६ है । सिर्फ तेन पंचायत क्षेत्र से ४८ आदमियों की कमी है वहां पर ८ पंच कायम किये गये हैं । मन्डरेला जहां की आवादी ५२४१ है वहां १० पंच मुकर्रर किये गये हैं । इसी के पास खाजपुर (नया) है जिसकी आबादी ३२४३ है

[श्री वेदपाल त्यागी]

वहां १५ पंच कायम किये गये हैं। पंचायत टंकोर जहां की आबादी २९८८ है वहां १५ पंच कायम किये गये हैं और उसी के पास इस्लामपुरा जहां की आबादी ६३९० हैं वहां सिर्फ १५ पंच हैं। इस तरह से तीन हजार की आबादी को भी १५ पंच दिये गये हैं और ६३९० की आबादी पर भी १५ पंच दिये गये हैं। इसी प्रकार पंचायत बाडा गांव है, जहां पर उन लोगों की संख्या अधिक है, जिनको जो लोग पॉवर में है वे नहीं चाहते इसलिये इस गांव की ३०९६ की आबादी होते हुए भी सिर्फ ९ पंच कायम किये गये हैं। एक जाबासर गांव है जिसकी आबादी २२३५ है लेकिन वहां पर १२ पंच दिये गये हैं।

अब मैं आपको बताऊंगा कि वार्ड किस आधार पर बनाये गये हैं। जाबसर एक बार्ड बनाया गया है जहां की आबादी मिस्लेनियस है, उसकी संख्या ४९९ है, उसमें तीन पंच हैं। उसी के पास राणासर एक वार्ड है जिसकी जन संख्या केवल ९२ है वहां एक पंच है। जाबासर में जहां पांच सौ व्यक्तियों पर तीन पंच हैं और राणासर जहां ९२ व्यक्तियों पर एक पंच है।

पंचायत भारू के सिलसिले में आप देखेंगे, मोरी एक वार्ड है जहां की आबादी ६०२ है; वहां सिर्फ २ पंच दिये गये हैं। इसी पंचायत क्षेत्र में एक सिरीसर वार्ड है जहां की आबादी २१७ है वहां तीन पंच दिये गये हैं। इसी क्षेत्र में चकवास एक वार्ड है जहां ९९ आदमियों की जनसंख्या है वहां एक पंच दिया है...

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाया, वार्डों का सम्बन्ध इन अमेन्डमेन्टस से कहां है?

श्री वेदपाल त्यागी—(जारी रखते हुए) इस अमेन्डमेन्ट के जरिये जो अधिकार गवर्नमेन्ट को दे रहे हैं उसमें सरकार जिस गांव को जिधर चाहे उधर मिला सकती है। अब तक तो यह था कि पंचायत की दरख्वास्त पर, यहां के रहने वालों की दरख्वास्त पर रद्दोबदल हो सकता था लेकिन जो अमेन्डमेन्ट आया है उससे गवर्नमेंट को यह पॉवर्स दिये जा रहे हैं कि वह चाहे जिस तरह से रद्दोबदल कर सकती है।

जिस प्रकार से वार्ड बनाये गये और जिस प्रकार से पंचायतें कायम की गईं उसमें गवर्नमेन्ट की ओर से किस प्रकार का पार्ट प्ले किया गया यदि अब वे अधिकार दे दिये जायेंगे तो यह पंचायतों की जड़ काटने के बराबर होगा।

प्रजातन्त्र में यह हमेशा से रहेगा कि किसी न किसी पार्टी की सरकार होगी, पार्टी के लोग अगर इतनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते तो प्रजातन्त्र के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है जब कि इस तरह से सरकार की ओर से पार्ट प्ले होता है? इसी प्रकार से पंचायत मोजासर में एक वार्ड

[श्री वेदपाल त्यागी]

हनुमानपुरा है जिसकी आबादी १८५ है और यहां दो पंच दिये गये क्योंकि यह हरलालसिंह जी का गांव है। उसी के पास मीथवास एक वार्ड है जहां की आबादी ७५१ है वहां एक पंच दिया गया। यह पक्षपात नहीं तो और क्या है...

श्री हरलालसिंह—ये गलत कह रहे हैं?

श्री वेदपाल त्यागी—आप बाद में बोल लीजियेगा। मैं गलत आंकड़े बता रहा हूँ तो आप सही आंकड़े बता दीजिये।

मैं यह बताना चाहता था माननीय अध्यक्ष, इन आंकड़ों के द्वारा कि जिस प्रका गवर्नमेन्ट ने वार्ड बना कर और पंचायतों को बना कर, कायम करके लोगों का विश्वास अपने ऊपर से खो दिया है, और यही वजह है कि इतनी बिल्ल-यों हो रही है कि कोई शक्ति नहीं दी जावे इस सरकार को। अगर वैध करार देना है पंचायतों को तो भी न दिया जावे, ऐसा पॉवर इस सरकार को। अगर एक बार पंचायत कायम हो गई है तो रद्दोबदल का अधिकार लोगों को ही होना चाहिये। अब दफा ८५ में यही है; तो मैं यह निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, कि पिछले सत्र में यह बात आई थी, उस वक्त मैंने ही इस बात पर आपत्ति उठाई थी कि इसका नोटिस नहीं मिला है, इसको न लिया जाये और इसका कारण यह था, दो चीजों पर आपत्ति थी। पहली तो यह कि लोगों का यह अधिकार न लिया जावे और उस बिल में यह भी था कि एक महीने का नोटिस भी दिया जावे। इस पर चर्चाएं हुईं और यह कहा गया कि अपोजीशन से सलाह लेकर यह आर्डिनेन्स आया था। मैं कहूँ कि आर्डिनेन्स तो जरूर जारी किया पर यह कहा गया कि सरकार यह चाहती है कि इस पर विचार किया जावे। पर इस पर यह तर्क निकाला गया कि प्रोरोग करके ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया जावे और फिर बोलें और मैं यह भी याद दिलाऊं माननीय मन्त्री महोदय को कि उन्होंने यह कहा था कि वे इस प्रकार की कोई चीज नहीं रक्खेंगे कि जिससे यह अधिकार लोगों से छीना जावे। अगर कोई चीज विरोध करने के लिए आवेगी तो १५ दिन के बाद ही बिल पास कर देंगे। तो मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय कि यद्यपि हम लोगों को कन्सल्ट किया गया, पर सिद्धान्ततया हमने इस बात को नहीं माना कि लोगों के इस अधिकार को आप कुछ पंचायतों को वैध करने के लिए खतम कर दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस देश में जो कि एक बहुत बडा देश है, प्रजातन्त्र का एक बहुत बड़ा परिक्षण हो रहा है और दुनिया की जितनी प्रजातान्त्रिक कन्ट्रीज़ हैं वे सब हमारे पर निगाहें लगाये हुए हैं कि हम अपने इस परीक्षण में सफल होते हैं या नहीं और प्रजातन्त्र की जिस भव्य इमारत को हम बनाना चाहते हैं उसका कहीं आधार है तो वह ये पंचायतें हैं। तो इन पंचायतों में से लोगों का विश्वास इस प्रकार की आपकी कार्यवाहियों से उठता है, या पंचायतों के प्रति लोगों के दिलों में ये शंकाएं पैदा होती हैं कि गवर्नमेन्ट अपनी पार्टी को सूट करने के लिए (अपनी पार्टी के अनुकूल बनाने के लिए) किस किस तरह के रद्दोबदल करती है; तो इन कारनामों से तो हम उस आधार को ही काटते हैं जिस पर

[श्री वेदपाल त्यागी]

इस भव्य इमारत को बनाना चाहते हैं। इसलिये आज भी चाहे माथुर साहब हों या कोई हों या हमारे उधर से बोलने वाले दूसरे सज्जन जिन्होंने कल यह बताया कि मारवाड पंचायत एक्ट के तहत एक ही गांव में जो पंचायतें बनी हुई हैं वे सब अवैध करार हो जावेंगी इसलिये उनको वैध करने के लिये इसके सिवाय कोई चारा नहीं। पर इनको वैध कराने के लिए सारी ही आइन्दा आने वाले जमाने की पंचायतों के बारे में लोगों को अधिकार से वंचित कर दो, यह उचित नहीं है। और बेशक आज भले ही आपकी राय ऐसी नहीं है। पर कल किसी सज्जन ने कहा था कि किसी सरकार ने तो यह अधिकार दिया और आज की सरकार ले रही है। इस अधिकार को लेने का मतलब यह है कि लोगों को जो अधिकार है, जो उनको कहने का हक है वह आप छीन रहे हो। अगर आज उनको किसी बात की इनकन्वीनियेन्स होती है तो सूवो मोटो आपको इनकन्वीनियेन्स मालूम होगी तब आप इसको करेंगे। तो मैं निवेदन करूं कि यह जो इस वक्त आपने जो बिल पेश किया है इससे कुछ गल्तियां जो आपके डिपार्टमेन्ट से हुई या आपके मन्त्रालय से हुई हैं उनको ठीक करने के लिए आप इस तरह का बिल पेश करके और इस तरह का एक्ट बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को हमेशा को अधिकारों से वंचित कर दिया जावे जो कि अधिकार उन्हीं के पास रहना चाहिये।

इसलिये निवेदन करूंगा कि यह कहना कि यह जो अमेंडमेंट आ रहा है वह सिर्फ उन्हीं पंचायतों से सम्बन्धित है जो पुरानी कायम थीं, पुराना जो कानून था उसके मातहत कायम की गई पंचायतों से सम्बन्धित है, दूसरी पंचायतों पर लागू नहीं होता तो यह भी सही भले ही हो पर अगर ये शब्द हमेशा के लिए उड़ा दिये जावें कि लोगों के कहने पर ही पंचायतों के क्षेत्रों में रद्दोबदल करने का गांव के लोगों को अधिकार होगा तो यह वह तरीका जिसको माथुर साहब बड़े जोर जोर से कह रहे थे ऐसा है जिसके बड़े गहरे दुष्परिणाम आगे निकल सकते हैं। उन्होंने यह नहीं समझा कि आइन्दा आने वाले जमाने में लोगों के लिए यह कितनी परेशानियां पैदा कर देगा। इसलिए मेरा कहना है कि बेशक पैनी उनकी निगाह जरूर है पर इतनी नहीं कि कानूनी शब्दों में भी उनका पैनापन काम कर जावे। दूसरे ही क्षेत्रों में उनकी पैनी निगाह रहती है। इसलिये निवेदन करूंगा कि वे इसकी बारीकी को समझ नहीं पाये। बारीकी यही है कि आप हमेशा के लिए इस अधिकार से लोगों को वंचित कर रहे हैं कि वे अपने क्षेत्रों में रद्दोबदल करवाने का अधिकार रख सकें और गवर्नमेंट को यह अधिकार दे रहे हैं कि जिस वक्त वह चाहे, लोग चाहें या नहीं चाहें, इसकी परवाह नहीं, पर गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसमें रद्दोबदल कर दे।

मैं इसके लिए निवेदन करूंगा कि हमारे बड़े कटु अनुभव हैं और यह भी कहूँगा कि जिस तरह से पंचायत विभाग ने आज तक कार्य किया है उसको ठीक तरीके से, ठीक तरह से देखा जावे तो फिर पंचायत विभाग को इस प्रकार का अधिकार देना और लोगों में इस प्रकार का असन्तोष फिर पैदा करना यह पंचायतों का गला ही घोंटना है, प्रजातन्त्र के लिये अत्याचार करना है। इसलिये इस तरह से बिल बनाकर अपनी गल्तियों को ठीक करने के लिए और दूसरे लोगों का

[श्री वेदपाल त्यागी]

अधिकार छीनने के लिये कोशिश करने को कभी भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता । हाई कोर्ट में बैठने वाले जज बहुत काबिल लोग हैं। वे भी इस बात को जानते हैं कि अगर हमने ऐसा कोई फैसला दिया कि जिससे लोगों के अधिकार छिनें तो वे भी इस पर विचार करते हैं। लेकिन कानून को इन्टर्प्रे करना उनका काम है, उनका फर्ज है और उन्होंने कानून को सही तरीके से इन्टर्प्रे किया है, उसको स्वीकार करना हमारा फर्ज है। इसलिये भी हमें उनके फैसले को रेस्पेक्ट करना चाहिये और अगर कोई गलती हुई है पंचायत विभाग से या आपके पंचायत मन्त्रालय से तो उसको दुरुस्त करने का नतीजा यह नहीं होना चाहिये कि दूसरी बड़ी गलती कर दो और जिससे लोग अपने अधिकारों से वंचित कर दिये जावें; इसलिये निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से और खास तौर से इस वास्ते कि उन्होंने वादा किया था कि वे लोगों को अधिकार देना चाहते हैं, लोगों के कोई अधिकार लेना नहीं चाहते, ऐसा कोई काम नहीं किया जावेगा कि जिसे लोगों को अधिकारों से वंचित किया जावे । अगर वैध करने के लिए कोई वंचित होता भी है तो फिर उनको अधिकार देने के लिए उत्सुक रहेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि इसको वैध करने के लिए यह जरूरी नहीं कि ये शब्द निकाले जावें। इन शब्दों का रहना जरूरी है । यह लोगों के अधिकारों की बात है। आप गवर्नमेन्ट को इन पंचायतों को वैध करने के लिए भले ही कोई अधिकार दे दें पर आइन्दा के लिए, हमेशा के लिए यह अधिकार न दें कि सरकार या सरकार का मन्त्रालय जब चाहे पंचायत के क्षेत्रों में परिवर्तन कर दे। यह परिवर्तन, यह रद्दोबदल तो तभी होना चाहिये कि जब लोग ऐसा चाहें, अन्यथा नहीं होना चाहिये। वह आर्बिट्रेरी पॉवर होगा। इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है । और आज तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन है । इस डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर जिनको शंकाएं हुई हैं वे न्याय संगत हैं और उनको करने का अधिकार है। इन शंकाओं के आधार पर। अपने पिछले कटु अनुभवों के आधार पर हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप ये अधिकार मत लीजिये, ये पॉवर इस सरकारी मशीनरी को मत दीजिये। ये निरंकुश पॉवर इस सरकार को, और इस सरकार के इन विभागों को या इसके मन्त्रालय को नहीं होने चाहिये। जो अवैध होती हैं पंचायतें, जिसमें कि आप समझते हैं कि १९०० पंचायतों में दुबारा चुनाव कराने पड़ेगें उन्हें वैध करने के लिए अधिकार भले ही ले लीजिये पर आइन्दा आने वाले जमाने में इस तरह के अधिकार देना कतई उचित नहीं है और मैं समझता हूँ कि हाउस को बलशाली गार्ड करना चाहिये, इस बात के लिए कि गवर्नमेंट को वही पावर्स होने चाहिये कि जो पंचायती राज को चलाने के लिए जरूरी हों; अन्यथा नहीं, और निरंकुश अधिकार इस तरह से तो कतई नहीं और जो अधिकार लोगों के पास होने चाहिये वे उन्हीं के पास हों। जब पंचायत कायम होती है तो यह अधिकार सिर्फ लोगों के पास रहें कि यह रद्दोबदल हो, अन्यथा नहीं। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में ही बोलने के लिए इसलिए खड़ा हो गया हूँ कि कुछ जरूरी काम से जाना चाहूँगा, पर अपनी बात कह जाना चाहता हूँ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कल से इस संशोधन के बारे में काफी चर्चा हो रही है और मैं समझता हूँ कि इसके जो खास पहलू हैं उनसे इधर उधर हो कर, ऐसा कई बार हुआ है, बहुत सी चीजों पर चर्चाएं साथ की साथ की गईं। क्योंकि यह संशोधन यहां पर लाने की आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने यहां तक कहना पसन्द किया कि वर्तमान सरकार ने किसी गुटबन्दी के आधार पर, पार्टीबन्दी के आधार पर क्षेत्र इस प्रकार के बना दिये हैं और अब उन क्षेत्रों को जायज कराना चाहती है। कल जब यह बात कही गई तो उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैंने पता लगाने का प्रयत्न किया कि दर असल इसमें वास्तविकता क्या है और मैं आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन से यह निवेदन करना उचित समझता हूँ कि जो यह तरीका बन गया है कि चाहे जिस तरह के आरोप लगाने का प्रयत्न किया जावे, किसी भी चीज के लिए दलबन्दी और दूसरी चीजों की चर्चा की जावे, यह कतई गलत है। इस वजह से कि आज जो संशोधन लाया गया है वह दरअसल उन नोटिफिकेशनों को जायज कराने के लिए है कि जो एप्रिल, १९५४ और अक्टूबर, १९५४ के अन्दर गजट में प्रकाशित हुए थे। कोई नोटिफिकेशन, जिसको कि हम आज जायज कराना चाहते हैं उसका यह मतलब नहीं है कि गवर्नमेन्ट ने सारे के सारे क्षेत्रों में रद्दोबदल करके और क्षेत्रों का नया निर्माण कर दिया है और उसके बारे में चर्चा हो रही है।

मैं यह आशा करता था कि कम से कम इस प्रकार के आरोप में नहीं पड़ते तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की कुछ चर्चाएं की जाती हैं उनको देखते हुए एक तरह से अच्छा ही हुआ जिससे कि तथ्य मालूम हुए कि वास्तव में तथ्य क्या है। जो चीजें पहले पंचायत एक्ट में थीं और अगर उन चीजों पर असर पड़ा हाई कोर्ट के जज में से तो उसको सरकार जायज करार देने की वजह से कार्यवाही करती है। उस कार्यवाही को करने के लिए यह कहा जाय कि प्रजातन्त्र की हत्या हो रही है, एक बिल्कुल डिक्टेटरशिप की बात की जा रही है; मैं समझता हूँ, कि हम इसके दो पहलुओं को देखें। एक तरफ तो हमारे सामने यह प्रश्न है कि १९०० पंचायतों पर जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसकी वजह से राजस्थान में जो ३२७६ पंचायतों का निर्माण हुआ है उसमें से १९०० पंचायतें सारी की सारी अवैध घोषित हो जायंगी। अब १९०० पंचायतों के अवैध घोषित होने में जिसमें वोट देने वालों ने वोट दिया और पंचायतें कायम हुई हैं उन पंचायतों को आज नाजायज करार दिया जाय। उसके अन्दर जो पंचायतें स्थापित हुई हैं चुनावों के जरिये, अप्रेल और अक्टूबर के नोटिफिकेशन के जरिये, उनको समाप्त करना चाहते हैं। उस जिम्मेदारी को सरकार नहीं लेना चाहती है। हम यह समझते हैं कि जो चुनाव हुए हैं राजस्थान के अन्दर और उन चुनावों के बाद कई जगह पंचायत राज्य कायम करने लग गये; वे पंचायतें काम कर रही हैं; और उन पंचायतों के काम करने के अन्दर जो कि कन्स्टीट्यूट करने के बारे में सब गांवों को लेकर यह कहा जाय कि टेक्निकल स्तर पर चुनावों को वापस करना पड़े १९०० जगह, और उसके लिए जिस प्रोसीजर पर यह सदन जोर दे रहा है कि मारवाड़ के अन्दर एक गांव के लिए एक पंचायत थी, अगर उस स्थिति को मान कर चलें तो जहां कि दरख्वास्त आये वहां

Page No.27

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

पंचायत कायम की जाय तो मूल एक्ट जिसको सदन ने पास किया है जिस पर आधारित है कि ग्रूप ऑफ विलेजेज़ यानी अलग २ जगह ग्रूप ऑफ विलेजेज़ बनाये जायं और उस आधार पर चुनाव कराये जायं तो यह पोसीबिलीटी नहीं रहती है कि एक जगह एक गांव की पंचायत होगी और उसमें फिर परिवर्तन करने के लिये जो दरख्वास्त जनता की तरफ से आये या पंचायत की तरफ से आये तभी परिवर्तन करें....

श्री जसवन्तसिंह—ग्रूप ऑफ विलेजेज़ नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस वक्त सारे राजस्थान को ग्रूप ऑफ विलेजेज़ में डिवाइड किया हुआ है। पंचायतें ग्रूप ऑफ विलेजेज़ में डिवाइडेड हैं तो उसके लिए यह होगा, अध्यक्ष महोदय, कि यदि इस एमेंडमेंट को मना करते हैं तो इस बात की तैयारी रख कर चलना होगा कि राजस्थान के अन्दर आने वाले साल दो साल तक पंचायतें कायम नहीं हो सकती हैं, उस प्रोसीजर को पूरा करने में। प्रजातन्त्र में इस तरह के अधिकार हैं कि जहां लोग अपने वोट देकर पंचायतों को कायम रखें, उस इन्स्टीट्यूशन को कायम रखें, या अपनी नाराजगी की वजह से पंचायतों के सारे के सारे आधार को खत्म कर दें। नाराजगी में भी व्यक्तिगत नाराजगी का प्रभाव काम में आता है, नहीं तो इसके मूल तथ्य के ऊपर विचार करने की बात आती है। तो जो एमेंडमेंट हम आज मना कर रहे हैं उससे सारी तहसील पंचायतें समाप्त हो जाती हैं, जिला बोर्ड नहीं रह सकते हैं। आखिर जिस चीज की हम चर्चा करने जा रहे हैं तो अच्छा क्या है। आज जो करने जा रहे हैं क्या ऐसी बात कर रहे हैं जो हमारे लिये अनहोनी बात है। वह बाद में, जो इसके माननीय मन्त्री हैं वह आपको बतलायेंगे कि जो अधिकार गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लेने जा रही है वही अधिकार, अध्यक्ष महोदय, यू. पी. पंजाब और दूसरी स्टेट्स में हैं। फिर क्या वजह है कि हम कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, आखिर है क्या? केवल यही तो बात है कि गांव वालों की दरख्वास्त पर पंचायतों की दरख्वास्त आये तब किया जाय। करने वाली सरकार है। आज के दिन भी निर्णायक सरकार है, फैसला सरकार करने वाली है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी उस चीज को करे और वह कर सकती है। उस चीज के करने के बारे में हम डिनाई करना चाहते हैं कि अभी अधिकार ज्यादा हैं। मौजूदा कानून की मौजूदा धारा में अधिकार ज्यादा है....

श्री वेदपाल त्यागी—Subject to certain limitations.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वे लिमिटेशन्स हैं हीं। दरख्वास्त उसके पास आयेगी कि फलां गांव को उस सर्किल में रखा जाय तो गवर्नमेंट के पास निर्णय करने का अधिकार नहीं रहता है। तब ग्रूप आफ विलेजेज़ को आधार मान कर ग्रूप्स फोर्म करने होंगे। ग्रूप्स फोर्म नहीं करते हैं तो डिस्पेरिटी होगी, सारे राजस्थान में होगी। जो कदम उचित नहीं कहा जा सकता है, इन कारणों से यह करने का प्रश्न आया है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अध्यक्ष महोदय, कल और आज भाषणों के दौरान में बहुतों ने कहा है कि पंचायतों के चुनाव हुए लेकिन बहुत सी जगह नामजद पंचायतें चल रही हैं। किसी ने कहा है कि पंचायतों के चुनाव में धांधलेबाजी हुई है। यह चर्चाएं नई नहीं है, बहुत अरसे से चल रही हैं। मैं सदन की सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट्स को ही नोमीनेशन का हक है। एक भी पंचायत नोमीनेटेड नहीं है राजस्थान के अन्दर (करतल ध्वनि)। जनता के हकों पर किसी प्रकार का कुठाराघात न हो, हमने तो इस बात को सामने रखा है और उसके लिये प्रयत्न किया है। एक माननीय सदस्य ने चर्चा की, एक स्थान के लिए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायतों का नोटिफिकेशन अप्रेल और अक्टूबर में हुआ तो बीकानेर में क्या धांधली हुई कि बीकानेर के अन्दर एक भी पंचायत क्षेत्र नहीं बदला गया पिछले साल में (करतल ध्वनि)। आखिर जिन चर्चाओं को आप करना चाहते हैं तो वे तथ्य पर आधारित हों, वास्तविकता पर आधारित हों। उन चीजों पर नहीं रख कर सारी बातें करें तो क्या लाभ होगा ?

श्री वेदपाल त्यागी—For your information, Sir; आपकी इनफरमेशन के लिए निवेदन कर दूं कि चैता पंचायत तहसील हिंडोली में सब नोमीनेटेड पंच हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कहां पर ?

श्री अध्यक्ष—हिन्डौली पंचायत में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे पता नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपकी सूचना के लिए कह दूं कि चुरू में ८६ नोमीनेटेड पंच थे, डिमॉन्स्ट्रेशन होने के बाद बदले गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—८६ नोमीनेटेड पंच थे, वे बहुत झगड़ा करने के बाद बदले गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने निवेदन किया था कि आज के दिन में। यह बात ठीक है। आज के दिन में बीकानेर डिवीजन में एक भी नोमीनेटेड नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो मैंने कहा वह गलत नहीं हैं। उसमें सुधार हो गया है, ऐसी बात कह सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो अभी अभी चर्चाएं की गई। कल भी चर्चाएं की गईं इस बात की, वे गलत हैं। पहले की चर्चा मैं नहीं करता हूँ। कल के बारे में कहना चाहता हूँ कि गलत है। एक माननीय सदस्य ने एक गांव के बारे में सूचना दी है, जो हो सकता है कि वहां पर इस प्रकार की बात हो तो वहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव किये जा सकते हैं। इसमें हम उस नीति को निश्चित मान कर चलते हैं। पता हुए बिना इलेक्शन के बारे में क्या कार्यवाही की जा सकती है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—पता किया है। ऐसे केसेज़ मौजूद हैं, एक बहुत ही स्पेसिफिक इन्स्टान्स है जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर के यहां नोमीनेशन हुए हैं और रेकॉर्ड में वे नोमीनेशन पेपर मौजूद हैं, लेकिन नोटीफाइड दूसरे नाम हो रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं यह कह रहा था कि आज के दिन यह बिल्कुल गलत है, एक मनोनीत वाली बात कही गई है। अगर ऐसी बात है तो अलग से चर्चा कर सकते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर दूं तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं निवेदन यह कर रहा हूँ कि जहां ३२०० पंचायतों का निर्माण हुआ है। उन पंचायतों के निर्माण के अन्दर, उदाहरण के तौर पर, मुझे खुशी है कि एक ने खड़े होकर कहा कि एक पंचायत बाकी है जहां मुकद्मे बाजी के झगड़े या और किसी झगड़े की वजह से चुनाव नहीं हुए हैं, आम तौर पर किसी ने कुछ नही कहा; तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसमें तथ्य ज्यादा है।...

श्री जसवन्तसिंह—और भी मिल सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने जो पहले कहा है वह मैं अपनी ऑफिशियल इनफरमेशन के आधार पर यह बात कह रहा हूँ। मुझे पंचायत का मालूम नहीं है। उन पंचायतों के निर्माण की सारी सूचियां मेरे सामने हैं, नहीं तो मैं उन चीजों का आपके सामने जिक्र करूं। लेकिन जो बातें कर रहे थे कल इस पंचायत एक्ट के संशोधन से संबंधित, उन पंचायतों के संशोधन में जो बात खड़ी होती थी उसका एक पहलू था बिल की वेलीडिटी का। कई एक माननीय सदस्यों के कहने के मुताबिक आम तौर से मैं उन शब्दों को काम में नहीं लाता कि 'वह कानून चूल्हे में जाय, हमें मतलब नहीं है।' यह एमेंडमेंट चूल्हे में नहीं जाने का है। इससे १९०० पंचायतों पर असर होता है। इसलिये यह करने का सवाल है कि हम उनको वेलिड करें। यू. पी. में जहां इतने अरसे से परीक्षण हो रहे हैं, पंजाब में इतने अरसे से परीक्षण हो रहे हैं वहां पर यह अधिकार गवर्नमेंट को है। फिर राजस्थान में यह अधिकार चाहे पिछले वक्त नहीं रहा हो, इन अधिकारों को लेने के अन्दर कोई एतराज की बात नहीं होनी चाहिए।

ऐसा अधिकार केवल हमारे यहां सरकार के हाथ में हो, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार के अधिकार सभी जगह की सरकारों के हाथ में है। तो इस तरह आखिर हम कोई प्रजातन्त्र की हत्या

Page No.30

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

करने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा करने से हम प्रजातन्त्र की हत्या करने जा रहे हैं तो और दूसरे प्रान्तों में और सभी जगह हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र की हत्या हो गई है। तो मैं नहीं समझता कि प्रजातन्त्र के बारे में माननीय सदस्य जो यह कह रहे हैं, वे इसके पक्ष में हैं कि नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बहुत हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बहुत खुशी की बात है। झुंझुनू के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा कि झुंझुनू में वार्ड्स का निर्माण हुआ, वहां कुछ जगह आबादी कम है; वहां पर ज्यादा पंचों के लिए स्थान दिया और जहां आबादी ज्यादा है वहां कम पंचों के लिए स्थान दिये गये। पंचों के वार्डस् तय करने के लिए जहां तक मेरी जानकारी है, यह पंचायत विभाग के इन्स्पेक्टर्स को सौंपा गया है। तो हो सकता है कि गलती हुई हो। अगर कहीं २००० की आबादी में कम पंच और ५०० की आबादी में ज्यादा पंच है तो इस हालत के अन्दर, वार्ड्स के अन्दर इस प्रकार की बात है तो इसे देख कर सुधार करना चाहिये और वह सुधार भी तभी कर पायेंगे जब कि गवर्नमेंट इस संशोधन को पास करा देगी।

मैं, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा चर्चाओं में न जाकर एक चीज इस मौके पर निवेदन करना चाहूँगा कि हम बार बार हर चीज के अन्दर एक जाति विशेष को अधिकार देने की दृष्टि से, अमुक परिवर्तन किया गया है, जाटों के लिये ऐसा किया गया, जैसे कि रोज कहा जाता है; ऐसी बातें की जाती हैं। ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं हैरत में पड जाता हूँ। सारे राजस्थान में जिनकी आबादी कुल १२ प्रतिशत है, वहां दूसरे लोगों के दिमाग पर यह हो गया है कि सेंट परसेंट वही है। यह चर्चा करके हम राजस्थान में एक फिजां पैदा कर रहे हैं। जैसे उदयपुर डिविजन है, जहां तक मुझे जानकारी है, वहां इस प्रकार का प्रश्न ही नहीं है, वहां कभी इस प्रकार की चर्चाओं में नहीं पडते। तो यहां जो इस प्रकार की चर्चाएं की जाती हैं तो इसकी कुछ पिछली भूमिकाएं हैं और वर्तमान असर भी है। आखिर वोट देने का अधिकार कोई जाट को एक की बजाय ४ तो नहीं दिया है। चुनाव बहुमत से होते हैं तो इन चर्चाओं से कोई फायदा नहीं।

श्री वेदपाल त्यागी—एक आदमी को एक के बजाय ज्यादा वोट देने का अधिकार देने का कहा, वह दिया है। २००० की आबादी पर १२ पंचों के स्थान और ६००० की आबादी पर १२ पंचों के स्थान रखे गये हैं, इससे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में ज्यादा वोट्स मिलेंगे और डिस्ट्रिक्ट पंचायतों को केप्चर कर लेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपने कहा इसको भी देखा जायगा। आपने जिस डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया वहां जाटों का बहुमत नहीं मिलेगा। इस जाति को इतना और उस जाति को इतना, इन चर्चाओं को छोड़ कर हम ठीक तरह की चर्चाएं करें तो वह लाभप्रद होगा।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

यह भी कहा गया कि आगे के लिये जनता को दर्खास्त देने का जो हक है उसको खत्म किया जा रहा है। मैं इसको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आगे के लिये जनता का दर्खास्त देने का हक है उसको खत्म कर देना चाहते हैं, ऐसी हमारी भावना नहीं है। जो कुछ हो चुका, १८०० पंचायतों को इल्लीगल डिक्लेअर किया गया है इसको रोकना इस कानून का उद्देश्य है। साथ साथ गवर्नमेंट को अधिकार रहता है, सब जगह यह अधिकार है कि सरकार परिवर्तन कर सकती है, वही अधिकार राजस्थान में भी है। जो अधिकार सब जगह सब सरकारों को है वह अधिकार राजस्थान सरकार का न रखें यह उचित नहीं है। कोई कानून यहां बनता है, दूसरी स्टेटों का हवाला देते हैं; इस प्रकार की यहां चर्चा कीजिये कि इस प्रकार इस कानून को लागू करें तो कोई एतराज की बात नहीं।

जब हम इन बातों की चर्चा कर रहे थे तो एक माननीय सदस्य ने बीच में खड़े हो कर चर्चा शुरू कर दी चरागाह की, कौनसी जगह बताई, हां मौरीजा की कि वहां चरागाह का झगड़ा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मौके पर कि सदन में जो कुछ चर्चाएं करें तो इतना तो डेकोरम, या परम्परा रखना आवश्यक है कि जो अधिकारी यहां जवाब देने के लिये हाउस के सामने नहीं हैं, जिनके जवाब देने का अधिकार नहीं है, उन पर आरोप न लगाये जायं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि आई. जी. पी. को ५०००० की रिश्वत दिला दी। इस प्रकार की आलोचना ठीक नहीं होती, खास तौर से उस वक्त जब कि उन्हें जिन पर इस तरह के आरोप लगाये जायं, स्पष्टीकरण करने का मोका नहीं है और जो कुछ कहा जाय उस पर कानूनी कार्यवाही भी करने का उनको अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार बहुत गलत तरीका लेते हैं इस प्रकार की चर्चाएं यहां करके। इस प्रकार की चर्चाएं बाहर नहीं करेंगे क्योंकि बाहर ऐसी चर्चाएं करने में कई कानूनी चीजें आ सकती हैं। यहां कही हुई बातों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह जो प्रिविलेज है इसका ठीक तरह से प्रयोग करना चाहिये। नहीं तो ऐसा होता है कि हम असेम्बली में किसी प्रकार की सीमा नहीं रखना चाहते, चाहे फिर यह बिल से ताल्लुक रखती हो या नहीं रखती हो। जैसे एक माननीय सदस्य ने इर्रिलेवेन्ट चर्चा करनी शुरू की और उन्हें कहा कि यह रिलेवेन्ट नहीं है तो उन्होंने इस तरह लिंक जोड़ा कि पंच भी इसके खिलाफ हैं और कहा यह रिलेवेन्सी बैठ गई। रिलेवेन्सी कहीं की कहीं लाकर जोड़ दीजिये, साहब यह रिलेवेन्सी बैठ गई, क्योंकि पंच नाम आ गया। तो वह तो वाजिब तरीका नहीं होता। तो माननीय अध्यक्ष हों, या उनके स्थान पर जो बैठे हों, इस चीज को सख्ती के साथ रखना चाहिये तभी हम सदन की परम्परा को कायम रख सकेंगे।

तो मैं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। इसमें कोई कुठाराघात, अन्याय नहीं हो रहा है। जो पंचायतें लोगों ने चुनी हैं उनको जायज करना है।

(दो माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने हेतु खड़े होने पर)

Page No.32

श्री अध्यक्ष—कितना वक्त लेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर—उधर से साथी नहीं बोले तो हम भी बन्द कर दें ।

कुं श्री जसवन्तसिंह—हम बोलेंगे साहब । चीफ मिनिस्टर साहब ने कई बातें ऐसी कहीं हैं जिनका जवाब देना जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष—This is for the convenience sake and if the House so desire we can take it into consideration.

साढ़े ग्यारह बजे इस बहस को खत्म कर देंगे । I think that will be proper.

श्री भोपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे माननीय मुख्य मंत्रीजी के भाषण को सुन कर बहुत दुःख हुआ ।

श्री अध्यक्ष—दुख हुआ ?

श्री भोपाल सिंह—इसलिये कि कानून खूब विचार कर ठीक बनाया गया था, मगर उसका प्रयोग गवर्नमेंट ने गलत तरीके पर किया है तो इसमें संशोधन लाने की क्या आवश्यकता है? संशोधन तो तब लाया जाता है जब कानून में कोई गलती हो मगर कानून प्रगतीशील है; काम में लाने वालों ने गलती की है तो उस गलती को सुधारा जाना चाहिये और गलत तरीके पर काम में लिया उन्हें सजा मिलनी चाहिए । हम यह सोच रहे थे कि हमारे मुख्य मंत्रीजी हमारे भाषण सुन कर जहां जहां गवर्नमेंट ने गलतियां की है वे सब सुधारी जावेंगी, मगर यहां हुआ कुछ उल्टा है। हमारे मुख्य मन्त्रीजी जो कुछ गलतियां हुई हैं उन्हीं को ज्यों की त्यों रखने के लिये लीपा-पोती कर रहे हैं इसलिये मुझे अत्यन्त दुख हुआ है । ग्रूप ओफ विलेज रखने के लिये अमेंडमेंट है । २०, २० माइल दूर के गावों को एक ग्रूप में रख देना यह भी क्या कोई ग्रूप ओफ विलेज है ? मै इस प्रकार के उदाहरण पेश कर सकता हूँ । मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गांव वालों ने रिपोर्ट की और गांव वालों की सुनवाई नहीं हुई है । मैंने लिस्ट बना कर पेश की कि मन-माने तौर पर ग्रूप कायम कर दिये गये हैं मगर कोई सुनवाई नहीं की गई है ।

यह कहना कि किसी ने उस समय शिकायत नहीं की, यह गलत है । मैंने लिस्ट बनाकर पेश की थी मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और मनमाने तौर पर यह किया गया । इसका क्या कारण है कि कहीं १५०० आदमियों के पीछे एक पंच और कहीं १०० आदमियों पर एक पंच और कहीं जैसा कुछ मनमें आया वैसा किया गया है ।

श्री मथुरा दास माथुर—आप कुछ मिसालें देकर बतावें ।

श्री भोपालसिंह—मैं मिसालें देकर बतला रहा हूँ आप जल्दी न करें।

गोरेरी चांचा में	१५०० आदमियों पर एक पंच
गोरेरी कर्णा में	३०० " "

राकीयासणी १६ से १५ मील पर पिन्ड्या है, वहां राकीयासनी में १६ घर की आबादी पर एक पंच रखा गया है।

आप इसको नोट कर लें। यह इसलिये कि दूर के राकीयासनी पहुँच नहीं सकेंगे और राकीयासणी १६ घर का पंच मुकरर हो जायगा और हुआ भी वही।

श्री अध्यक्ष—सभी नोट हो रहा है।

श्री भोपालसिंह—मुझे तो यह उम्मीद थी कि चीफ मिनिस्टर के पास जो शिकायत होगी उस पर जरूर आवश्यक बात पर विचार करके यहां पर बतलावेंगे। मगर आपने यह फरमाया कि इसको ज्यों का त्यों रखा जावे, उस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अगर गल्ती है तो उसको क्यों रखा जावे? अगर कोई आदमी गल्ती करता है तो सरकार उसको सजा देती है; तो फिर अगर सरकार कोई गल्ती करें या कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसका नतीजा उसको क्यों नहीं दिया जावे! बर पंचायत के बारे में कहा गया। अगर सरकार ने गल्ती की है तो उन्होंने ऐसा गलत काम क्यों किया, उसकी सजा मिलनी चाहिये। आपका काम था कानून बनाना सही बनाया और गल्तीं करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिये। अगर नहीं मिलती है तो क्या यही प्रजाराज की हां भरने वाले, करने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष—आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री भोपालसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त राजाशाही थी उस समय आप यह कहते थे कि राजा लोग ऐसा काम करते हैं जो बिल्कुल अनुचित हैं मगर आज यह प्रजा के चुने हुए यहां पर आये हैं और हम भी यहां पर प्रजा के चुने हुए यहां पर आये हैं; फर्ज हमारा और इनका हो जाता है कि जो सही एतराज हो और गल्तियें हों उनके लिये उचित कदम उठावें और सही अमल करें; यह नहीं कि कहीं १०० पर एक पंच और कहीं १५०० पर एक पंच और कहीं ५०० पर एक पंच मुकर्रर किया गया है और उसको ज्यों का त्यों रखा जा रहा है। मै यह कहूंगा कि यह पंचायतों का चुनाव इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जीतने के लिये किया गया है। जहां पर अपने सेन्ट परसेन्ट आदमी नहीं आये वहां पर आपने कई बार चुनाव कराये हैं। नागोर और झुंझुनू जिले में हुआ है। यदि आपको तसल्ली न हो तो आप अपने विश्वासपात्र आदमी मेरे साथ भेज दें तो मैं बताऊंगा कि पांच पांच या चार चार बार चुनाव हुए हैं। इस तरह से यह हुआ है और यह इसलिये हुआ है कि हमारे

[श्री भोपालसिंह]

जाटों की संख्या ज्यादा आवे। जहां पर इनकी संख्या ज्यादा नहीं आई वहां चुनाव वापिस हुए और यह सिद्धान्त रहा कि किसी न किसी तरह से उनकी संख्या ज्यादा आनी चाहिये। जहां जाटों की संख्या ज्यादा आई तो उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरह से यह पंचायत का चुनाव तो रद्द नहीं होना ही चाहिये। जाट कहते कि हमारा बहुमत आ गया है, हम तो इनको अब घोट पीवेंगे। इस तरह की नीति चुनावों में कायम की है। यह जनतन्त्र का राज्य है या राजाशाही से भी बदतर है ? मैं यह कहूंगा कि जब आप विधान सभा छोड़ कर जावेंगे तो पब्लिक आपको यह कहेगी कि ये लोग हैं जिनको हमने भेजा था और उन्होंने हमारे पर गलत कानून थोपा है। अगर गल्ती है तो उसको बराबर सही रास्ते पर लाना चाहिये। यह क्या कि जो हमने कर दिया है वह सही है चाहे वह गल्त ही क्यों न हो। यह राजाशाही से भी ज्यादा समझता हूं जो हाई कोर्ट का हुक्म भी सरकार नहीं मानती है।

अब आप कहते हैं कि एमेंडमेंट लायेंगे। आप इतनी गल्तियां कर चुके हैं कि किन किन गल्तियों को इस प्रकार सुधारने के लिये एमेंडमेंट लावेंगे। अगर आप इसको दुरूस्त इस प्रकार के एमेंडमेंट से कर लेंगे तो मैं दूसरी रिट करने वाला हूँ। यह बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आप इस तरह से कितनी गलतियें दुरुस्त करते हैं मैं भी देखता हूँ। इसलिये मेरी यह अर्ज है कि आप इस अमेंडमेंट पर ज्यादा जोर न देंगे और जिद नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष—No threats.

(हंसी व हियर हियर की आवाज)

सरदार श्री हरलालसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह पंचायत एक्ट में संशोधन आया है और इस पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये....

श्री हिम्मत सिंह—आवाज सुनाई नहीं देती है।

सरदार श्री हरलालसिंह—बिल पर विचार जाहिर करना वाजिब हो सकता है लेकिन यहां इस बिल पर विचार व्यक्त किये उसके साथ में मुझे दूसरी और बातें सुनने को मिलीं जिनको इसके साथ इस तरह से मिला कर कहा गया जिसका सम्बन्ध इस बिल के साथ नहीं था। इस पर मुझे थोड़ा खेद है कि इससे हमारे हाउस के वातावरण और परम्पराओं पर ठेस पहुँचती है और ऐसा लगता है कि हमारे हाउस की परम्पराएं खत्म होती जा रही हैं और वातावरण खराब पैदा होता है। ठीक है, किसी समय में जातियें ठीक होंगी मगर अब उनको बताना होगा कि आज इस जमाने में किसी जाति और धर्म विशेष का महत्व नहीं है और इस बात पर बार बार कहा जाता है कि इस तरह की भावना रहने से हमारे देश को नुकसान पहुँचा था और अब भी अगर यही भावना रही तो नुकसान

[सरदार श्री हरलालसिंह]

पहुँच सकता है और हमारे मित्रों ने अभी भी किसी एक जाति पर या किसी जाति के नाम लिये। सरकार के कामों में जो भी कमी हो उसको बताने का हक हो सकता है लेकिन मैं आपको बहुत ही साफ कह देना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष, कि जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं किसी को खास जाति के रूप में मानता हूँ जो अपनी विचारधारा एक सी रखते हैं जो इस तरह की रखते हैं; जैसे हमारे माननीय वेदपालजी त्यागी, श्री भैरूसिंहजी, या श्री एच. के. व्यास या और अन्य मित्र जो एकसी भाषा बोलते हैं, अपने एकसे विचार जाहिर करते हैं। मैं उनको एक जाति का मानता हूँ। ऐसी मेरी मान्यता है। ऐसा ही मानता हूँ और एक सिद्धान्त पर मानता हूँ, पेशे पर मानता हूँ। इनके पेशे भी शायद मिलते-जुलते ही हैं और विचार भी मिलते ही जाहिर होते हैं। मैं यह कह देना चाहता हूँ कि श्री त्यागीजी ने एक गांव का नाम लिया। इसमें आपकी जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। उनको सुविधा मिली होगी। आपको किसी ने आंकड़े गलत दे दिये हैं और आपने उन आंकड़ों को नोट कर लिया और कह दिया। जहां मेरा नाम रहा है उस गांव की आबादी आपने १८५ बताई। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उस गांव में ७० परिवार रहते हैं। उसकी आमदनी क्या हो सकती है ....

श्री मानसिंह महार—आप ही बता दें।

श्री हरलालसिंह—आप ही उसका हिसाब लगा लें और अगर आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते तो उसका तो मैं भी क्या कर सकता हूँ ? खेर। गलती कहीं पर भी हो, उसको सुधारनी चाहिए। अगर आपको कोई मामले में एतराज होता है तो आपको चाहिए कि सही मामले की जानकारी प्राप्त करें और फिर कहें, ताकि आपकी शोभा बढ़ेगी और उससे सदन की भी शोभा बढ़ेगी। मगर जिस तरह का वातावरण बनाने की जो कोशिश की जा रही है यह हितकर नहीं होगा। किसी जाति या किसी व्यक्ति से आपको घृणा है तो आप उसको अपनी क्लास या मटके के हाथ मत लगाने दीजिये। मगर ऐसी बात नहीं होनी चाहिये. इसके लिए मैं बहुत अदब के साथ बात कहूँगा। जो बातें आप कहें उनका इस बिल से सम्बन्ध होना चाहिये।

मैं बहुत अदब के साथ प्रार्थना करूंगा कि आप किसी भी विषय में बात कहें, वह विषय से सम्बन्धित होनी चाहिए और उसके साथ और बातें मिलाकर बोलते हैं तो यह सोचना पड़ेगा, उन सब बातों का खयाल किया जाय, नहीं तो यह मामला बर्दाश्त करने काबिल नहीं है।

अगर किसी कानून में संशोधन करके उसको दुरुस्त करें तो कानून की हत्या हो रही है और जनता के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है और अगर उस गलती को दुरुस्त करने के लिए संशोधन नहीं आये तो भी कुठाराघात हो गया और किन्हीं विशेष लोगों को अधिकार मिल गये। आखिर क्या मंशा है, क्या करना है ? यह तो ठीक है, यह तो समझ गये कि किसी मामले को लाकर आप लोगों द्वारा कुछ कहना जिससे कि वातावरण गंदा हो और कटुता पैदा हो, माफ करिये यह

Page No.36

[श्री हरलालसिंह]

आपके लिये, हमारे लिए और सदन के लिए हितकर चोज़ नहीं होगी। दलील या जो तथ्य की बातें हैं उनके अंगीकार करना चाहिए। अगर तथ्यहीन बातें हैं तो उनका विरोध किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

यह संशोधन आ रहा है; वह इसलिए कि जो कानूनी गलती रह गई थी और उस पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया और उससे जो वस्तु स्थिति पैदा हुई उसको ठीक करने के लिए इस सरकार द्वारा यह संशोधन लाया गया और उस पर यह रोष हो रहा है। जो अधिकार देने हैं वे देने चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये अधिकार अकेले सरकार के पास नहीं रहते हैं बल्कि ये सरकार और जनता दोनों के पास रहते हैं। मैं समझता हूँ कि आप इसको समझने की कोशिश करें और इस संशोधन का एक मत से समर्थन करें; ताकि इस मामले में, पंचायतों में जो किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है वह सही हो सके और सुचारू रूप से हमारी पंचायतें काम कर सकें।

श्री ईश्वरीसिंह—अध्यक्ष महोदय, एक ताजी मिसाल है वह आपने बतायी कल की। सीकर तहसील में चुनाव हुए। सीकर में २४ पंचायतें हैं। २३ का चुनाव हुआ और १ का चुनाव पहले नहीं हुआ। रघुनाथगढ़ के सरपंच का चुनाव नहीं हुआ। वह २८ तारीख को हुआ। वहां ऐसी जगह कि जैसी असेम्बली की चारों तरफ से बन्द, एक दरवाजा। वह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई। रघुनाथगढ़ में पंचायत का चुनाव हुआ। बाहर से छः पंच थे और रघुनाथगढ़ से चार। वा में एक महाजन पिपराली का पहले से ही सरपंच आया। सरकार वाला चुनाव करवा गया तो मकान में जड़ गया बाहर से आडा लगा दिया। मारपीट होने लगी, तीस लोग घायल हुए। चुनाव दूसरा हुआ; लोगों ने दरख्वास्त दी कि रघुनाथगढ़ नहीं आ सके। जाकर वाने क्यों कि या तो चुनाव में आवो नहीं तो आपकी बात कोनी हो सके। तहसीलदार कह्यो कि पंचायत वाला कह्यो कि पंचायत को कानून तरमीम क्यों नहीं कियो जाय ? या जको चीज़ होवे तो होनी चाहिजे। लेकिन काल जो असेम्बली को वातावरण देख्यो तो बडो दुख हुयो। फागण में होली होया करे जको असेम्बली में हो रह्यो काल जका सवाल पूछ्या गया कि कमला कोई स्त्री है या मर्द। या भी कोई पूछवा की चीज़ है। कमला अठे आ रही है वां से वाकिफ है कि वा स्त्री है। यहां जकी होली खेल्यां जसीं तो बाहर जनावा में चोखो नहीं। चाहे जैसे खतम करे जाटवाद .. फलतो आयो तो बीमारी होगी तो लेकिन जठे वां कि मिकदार ज्यादा है वां मा यों ही समझणो ठीक नहीं कि जाटवाद है। सीकर तहसील में पाच सो गांव है और कई पंचायतां बनी है वां में एक भी मुसलमान नहो आयो। पांच गांव में जकां की ज्यादा बस्ती है वा में मुसलमान आया तो वां को यो समझ लियो जाय कि बठे तो पाकिस्तान बन गयो। अठे जाटवाद है, जाट वोटा सूं ही आयो। यहां ५६ राजपूत हैं वो भी जाटों के वोटां सूं आया है।

रात को मने नींद नहीं आयी कि यो सवाल असेम्बली में क्यों पूछ्यो ? लोग आंख मींच ले कि कमला स्त्री है या मर्द है ?

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, एक मारवाड में मसल है।

"पाणी में पाषाण डूबे पण भीजे नहीं,

राजा आगे जान बूझे पण समझे नहीं।"

(हंसी)

मैं जानता हूँ कि मैं चाहे अपना कितनी ही बुद्धिदान करूं लेकिन फिर भी जो पूंछ पकड़ी हुई है वह नहीं छूटेगी। फिर भी हमारा फर्ज है कि आप उसको समझने का प्रयत्न करे।

यह जो अमेंन्डमेन्ट आ रहा है वह हाईकोर्ट के फैसले की वजह से आ रहा है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—हाईकोर्ट का फैसला क्या हुआ ?

श्री खेतसिंह—हाईकोर्ट का फैसला क्या हुआ, इसको मैं बताता हूँ। बर नाम का गांव जोधपुर डिवीजन में है। बर में पुरानी पन्चायत काम कर रही थी और राजस्थान के कानून के मातहत उस गांव में चार गांव और जोड़ दिये और नई पंचायत कायम कर दी गई। तो पुरानी पंचायत ने नयी पंचायत को काम नहीं सौंपा और कहा कि हमारी ही पंचायत काम करती रहेगी। नयी पंचायत ने कहा कि चूंकि नया चुनाव कर लिया गया, नयी पन्चायत चुन ली गई और इसलिए हमारा हक है और हम काम करेंगे। तो जो पुरानी पन्चायत काम कर रही थी उसने वकील एंगेज करके हाईकोर्ट में रिट कर दी और सेक्शन ९३ पुराने कानून में जो बनी हुई है उसके मातहत उन्होंने यह कहा कि चूंकि साहब इस धारा के मातहत हमें हक है काम करने का "All Panchayats established under any law.. in existence on the date of the commencement of this Act shall continue"

इसलिए उन्होंने कहा कि वी विल कन्टीन्यू। जब उसके ऊपर बहस हुई तो मैं भी उस वक्त मौजूद था। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को यह हक है कि वह उन गांवों का एक्सटेन्शन कर सकती है। तो कौन से सेक्शन के मातहत ? तो उन्होंने ८६ को बहुत टटोला।

"at its own motion or at its own accord" गवर्नमेंट कर सकती है। उसमें तो साफ है कि या तो वहां के लोग इस तरह की दरख्वास्त दें या पंचायत रिक्वेस्ट करे तो उस पर दायरा बढ़ाया जा सकता है। इस पर हाईकोर्ट ने टेक्निकल डिफक्ट देखा तो रिट मंजूर कर लिया और नयी पंचायत जो बनी उसको अवैध घोषित कर दिया।

[श्री खेतसिंह]

अब आपके सामने यह सवाल आता है कि जब वर की पंचायत जो इस तरह से पुरानी थी वह इस तरह से अवैध घोषित की गई तो इस तरह से मारवाड़ पंचायत कानून के अन्तर्गत जितनी पंचायतें यहां काम कर रही हैं उन्होंने मौका देखा और उन्होंने भी रिटें पेश कर दीं। पुरानी पंचायतें जो पांच वर्ष तक काम कर चुकी थी उन्होंने देखा कि इस नये चुनाव में तो आ नहीं पायेंगे। जिस प्रकार आज हम विधान सभा के सदस्य हैं, न मालूम अगले इलेक्शन में कौन कौन मेम्बर्स आ सकेंगे ? जब पुराने पंच हार गये तो उन्होंने इस तरह से रिटों का फायदा उठाया और रिटें देना शुरू कर दीं। इस वजह से क्या हुआ कि हाई कोर्ट में १०० के ऊपर रिट एप्लीकेशनें पहुँच गईं और जब हमने यह आर्डिनेन्स निकाल दिया तो यह रिटों का काम कम हो गया, वरना हालत यह कि सारे मारवाड़ भर की १६०० पंचायतें इससे इफक्टेड होतीं। हाई कोर्ट ने उन रिटों पर अपना फैसला दिया और उस फैसले के अनुसार हमें उन सब पंचायतों के वापिस इलेक्शन करने पड़ते और उस चुनाव में गवर्नमेंट को बहुत बड़ा एक्सपेन्डीचर करना पड़ता जिसमें हमें साल भर से ज्यादा समय लग जाता चुनाव होने में और जब तक चुनाव सम्पन्न नहीं हो जाते डिस्ट्रक्ट बोर्ड कायम नहीं हो सकते, सारा मामला के ओस में पड़ जाता जगह जगह। फिसाद बढ़ने की आशंका पैदा हो जायगी।

मेरे जोधपुर से आये हुए मित्र यह चाहते हैं, जरा सी भी कुछ गड़बड़ी हो ताकि वे फायदा उठा सकें। मेरा जहां तक ख्याल है जब कि हम आॅर्डिनेन्स छ महीने से ज्यादा नहीं चला सकते तो सरकार को यह लाजिमी है कि इस बीच में इस प्रकार का एक्ट बनाना बहुत लाजिमी हो जाता है। अब सवाल यह आ जाता है, जैसा कि अभ हमारे माननीय मित्र जो खाचरियावास कोन्स्टीट्यूएन्सी है जमवा रामगढ़ से या दांता रामगढ़ से तशरीफ लाये हैं उन्होंने कहा कि यह तो जनतन्त्र पर कुठाराघात है, वज्रपात हो जायगा, यह एक षडयन्त्र हैं; न मालूम उन्होंने क्या क्या शब्द कह दिये। मुझे तो ऐसा जान पड़ा सारे हिन्दी कोश के जितने भी शब्द उनको शब्द थे सब उन्होंने कह डाले। इसके लिये मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि कहीं भी इससे गड़बड़ी होने वाली नहीं है। पुराना सेक्शन वैसा का वैसा ही होने वाला है। जैसा अब नया अमेन्डमेंट आया है उसमें यह साफ है कि धारा ८६ वहीं रख दी जाय और उसमें थोड़ा सा एडीशन कर दिया जाय ताकि गवर्नमेंट के पास भी वे अधिकार रह जांय। इसके लिए एक संशोधन है जो कि गवर्नमेंट स्पोन्सर्ड है; उससे यह ज्यादा साफ हो जायगा।

"The state Government may at any time after one month's notice publish in the prescribed manner......"

आगे यह जोड़ दिया जायगा

"either on its own motion or"

वह जनता को हक दिया गया

श्री भैरूसिंह (वि. सं. १६)—यह आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं या सरकार जोड़ने वाली है।

श्री खेतसिंह—मैं यह आपको एक्स्प्लेन कर रहा हूँ माननीय मंत्री विस्तृत ढंग से एक्स्प्लेन करेंगे इसलिए आप मेरे बीच में ज्यादा परेशानी पैदा न करें। जहां मेडता पंचायत के अन्दर जाट आ सकते हैं तो हम नहीं आ सकते क्या। यहजो अमेन्डमेन्ट है वह बहुत जायज है इससे किसी प्रकार का जनतंत्र पर कुठाराघात होने वाला नहीं है। यह लाजिमी हो गया इसके बिना हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं करवा सकते और न तहसील पंचायतें ही कायम हो सकती हैं। अगर इसको नहीं माना गया तो इसका असर १६०० पंचायतों पर होगा जिसे आप और हम कोई खत्म करना नहीं चाहते। जितने भी आपको ग्रीवान्सेज़ हों आप कलेक्टर को लिखिये, माननीय मंत्री महोदय से मिलिये या अन्य प्रकार की चारा-जोरी कीजिये। जैसे यहां पर लाकर किसी बात को कहना जैसा कि भैरूसिंहजी कहते हैं यहां कहना कोई सेन्स नहीं रखता।

लिहाजा मेरे ख्याल से जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है वह ठीक है। उसे पास कर दिया जाय और जो ग्रीवान्सेज हों उसको हल करने के अन्य तरीके भी हैं।

श्री राज हिम्मतसिंह (अटरु)—अध्यक्ष महोदय, यह पंचायत बिल में जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है उसके ऊपर कल से विचार प्रगट किये जा रहे हैं और हमारे मुख्य मंत्री ने जो कुछ भी बातें कहीं उसको हमने सुना और समझने की कोशिश भी की। उनमें से कुछ बातें समझ में आईं और कुछ समझ में नहीं आईं इसलिये शंका निवारण करने के लिये मैं प्रश्न की तौर पर कुछ निवेदन करना मुनासिब समझता हूँ। एक कहावत है, "बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताय" यही यहां हो रहा है। मालूम नहीं यह कार्य किनकी तरफ से हुआ, सरकार ने पहले जो बिना बिचारे काम किया उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। बिना विचारे हमने काम किया जब कि हम यह जानते थे कि हमारे यहां मारवाड़ पंचायत एक्ट की क्या स्थिति है, किस तरह का वह एक्ट बना है। इस एक्ट के पास होने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी, हमने जिस समय पंचायत कानून बनाया उस समय ये सब बातें आपके ध्यान में होनी चाहियें। लेकिन हुआ क्या, किसी ने इस सम्बन्ध में नहीं विचारा। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट मशीनरी उस समय क्या कर रही थी, क्या सोई हुई पडी थी ? जब इस प्रकार की डिफीकल्टी आने वाली है, लॉ डिपार्टमेंट उस समय मोजूद था आज भी है, बड़ी बड़ी तनखा पाने वाले अधिकारी मौजूद हैं तो क्या उनके ऊपर बिचार नहीं किया गया। या तो यह होना चाहिये कि विचार किया गया, ओवर रूल हो गया, क्या असल स्थिति थी हमें मालूम नहीं। सरकार ज्यादा जानती होगी लेकिन जो कुछ हुआ सो हुआ।

जब इस बारे में हाई कोर्ट में रिटें हुईं और हाई कोर्ट ने जब ऐसा फैसला दे दिया तो उस गलती को सुधारने के लिये यहां प्रयत्न किया जाता है और यह अमेन्डमेन्ट उसी को ठीक करने के लिये लाया गया है। आपको इस तरह से न कर अपनी गलती को कुबूल करना चाहिए। गलती को कबूल न करके उस गलती को ठीक करने के लिये नया अमेण्डमेण्ट बिल लाया जा रहा है।

[राज श्री हिम्मतसिंह]

होना तो यह चाहिये था कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया है उसके फलस्वरूप जो कुछ भी परिणाम होवे भुगतने चाहिये। उसका इफेक्ट १६०० पंचायतों पर ही क्या, अगर १६ हजार पंचायतों पर भी पड़ता हो तो समय देकर तमाम के इलेक्शन वापिस करवाने चाहिये। क्या कभी ऐसा होता है कि विधान सभा या हाउस ओफ पीपल में कोई व्यक्ति के खिलाफ चुनाव पटीशन्स दायर हुई और वह मन्जूर हो गई और उस व्यक्ति का चुनाव अवैध घोषित हो गया तो क्या उसके लिये विधान सभा या लोक सभा में अमेन्डमेन्ट लाकर इसको वैधानिक बनाया जा सकता है क्या? लेकिन यह होता नहीं। सरकार का करोडों रुपया खर्च हो जाय, चुनाव वापिस होते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—सैकडों हो चुके हैं।

श्री राज हिम्मतसिंह—लाखों रुपये इस प्रकार के चुनावों में खर्च हो चुके हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि सरकार को इसमें क्या आपत्ति है कि जो गलती उनके द्वारा हो गई उसको दुरुस्त करें। जो आज तक तरीका है उसी माफिक चलें, अपनी गलती को इस तरह सुधारने की कोशिश करना बड़ी लज्जा जनक बात है।

मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा कि जोधपुर में राजाओं के वक्त एक एक पंचायत चली आ रही है उसको हम ग्रूपिंग कर लेने जा रहे हैं। हमारा एक्ट इस बाबत बहुत साफ है अगर इस एक्ट का सेक्शन ३ देखा जावे जिसके अन्दर यह साफ लिखा हुआ है।

"The State Government may by notification in the Rajasthan Gazette establish a Panchayat for a village or group of villages not included within the limits of a Municipality."

अगर एक गांव में एक पंचायत एस्टेब्लिश होती है तो उससे आपको क्या आपत्ति है। जब कि एक्ट के अन्दर प्रोवीजन मौजूद है। इसके अन्दर किसी प्रकार की डिफीकल्टी पैदा नहीं होती। क्या जरूरत है ग्रूप ओफ विलेजेज़ की पंचायतें कायम करें? आप इस अमेन्डमेन्ट बिल के जरिये जिस प्रकार के अधिकार लेने जा रहे हैं उससे तो आप नई पंचायतें कायम कर देंगे! आपको अगर लाना था तो पंचायतों के कायम करने से पूर्व इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट लाने चाहिये थे।

लेकिन बड़ा दुख होता है कि गलती करते हैं और फिर उसे सुधारने की कोशिश की जाती है तो वह भी भद्दे तरीके से की जाती है। कहा यह जाता है कि इस तरह से यह काम नहीं होगा तो देश में अनारकी हो जावेगी। समझ में नहीं आता कि पंचायतें काम कर रही थीं तो अनारकी नहीं हुई और यों ही काम करती रहेंगी तो अनारकी नहीं होगी, या जैसा वे चाहते हैं वैसी नहीं बनीं तो अनारकी हो जावेगी। उन्होंने अनारकी होने का कोई कारण नहीं बताया कि क्यों और

[राज श्री हिम्मतसिंह]

कैसे यह अनारकी हो जावेगी। पर अगर यह अनारकी होती भी है तो इसका कारण भी यह सरकार ही है और कोई नहीं। सरकार ने ऐसी गलतियां की क्यों? इसलिये यह जो सुझाव दिया गया था हमारे एक मित्र की तरफ से कि या तो इसे सर्क्युलेट कर दिया जावे या सिलेक्ट कमेटी के सुपर्द किया जावे, मैं समझता हूँ कि बहुत वाजिब है और इसको सदन भी मानने को तैयार है क्योंकि मैं देखता हूँ कि सदन में जो बिल पेश किया है उसके साथ साथ ही आज दूसरा अमेन्डमेन्ट भी आ गया है इसलिये यह सदन अभी तक किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा कि हमें क्या करना है और किस तरह से बिल को सुधारना है। इसलिये इस पर सोच-विचार करने की आवश्यकता है और इसके लिए बेहतर यह होगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी को वापिस लौटा दिया जावे।

श्री सभापति (श्री रघुवीरसिंह, बिसाऊ)—श्री किशनलाल शाह।

श्री किशनलाल शाह—माननीय सभापति महोदय, जो पंचायत के मूल विधेयक में संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसकी मूल भावना क्या है और उसका परिणामी लक्ष्य क्या है, इस विषय में विभिन्न जो मत व्यक्त किये गये हैं दोनों तरफ से, परस्पर विरोधी हैं। एक बात स्पष्ट हुई है कि जो मूल विधेयक था उसकी जो मंशा थी उसके विरुद्ध सरकार के अधिकारियों ने, चाहे वे विभागीय तौर पर हों, चाहे मन्त्रालय की तरफ से हों, गलतियां हुई हैं और यह भी बात स्पष्ट हुई कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक पंचायत के बारे में फैसला दिया और सरकार की तरफ से और मुख्यतः माननीय मुख्य मन्त्रीजी की ओर से और मुख्य सचेतक की तरफ से यह दलील दी गई कि इसका असर राजस्थान की लगभग दो हजार पंचायतों पर पड़ेगा। इससे यह निष्कर्ष सहज ही निकलता है कि यह गलती कहीं एक या दो पंचायतों के विषय में नहीं हुई बल्कि आम तौर पर हुई है।

इसके बाद यह भी प्रश्न उठता है कि यह गलती जानबूझ कर मैलाफाइडी हुई है या अनजान में बोनाफाइडी हुई है। जो मूल भावना और परिणामी लक्ष्य के विषय में घटनाएं और आंकड़े दोनों तरफ से प्रस्तुत किये गये वही उस गलती के लिए मैलाफाइडी या बोनाफाइडी के आधार हैं। उन्हीं घटनाओं और आंकड़ों का इसके लिए आधार लेना पड़ेगा, यह सत्य है। चूंकि ये दोनों ही बातें घटनाओं और आंकडों से सम्बन्ध रखती हैं और वे दोनों ओर से एक दूसरे के विपरीत बताई गई हैं इसलिये उन पर मैं गौर न भी करूं तो इतना निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि यह गलती चाहे मैलाफाइडी हो, चाहे बोनाफाइडी हो यह एक भयंकर भूल है, ग्रोस नेग्लीजेन्स है जो एक अधिकारी के लिए अयोग्य साबित करने के लिए काफी होती है।

एक दलील यह आई कि इस संशोधन की भावना डेमोक्रेटिक है। मैं यह नहीं समझ पाया कि उनकी यह दलील कहां तक ठीक है कि जो पंचायतें बनी हैं वे नष्ट हो जावेंगी तो उनसे जो डेमोक्रेसी कायम हुई है वह नष्ट हो जावेगी।

[श्री किशन लाल शाह]

इसके विरोध में यह भी दलील है कि जो कुछ कायम हुई हैं वे डेमोक्रेटिक नहीं है। जो कुछ भी कायम हुई हैं गलती के आधार पर हुई और इसलिए वे पंचायतें नहीं, कुछ और ही कायम हुई हैं। इसको भी यह दलील देकर इन्कार किया गया है कि जो गुट्टबन्दी की भावना या पार्टीबाजी की भावना से इस सरकार से या उस सरकार से हुई है, मैं यह नहीं समझता कि यह पुरानी सरकार से हुई या इस सरकार से हुई। यह दलील नहीं है, यह रिलेवेन्ट चीज़ नहीं है। सवाल यह है कि जिस अधिकारी ने यह किया, जिस विभाग ने यह किया और जिस मंत्रालय ने यह किया या जिस मन्त्रालय के सम्बन्धित मन्त्री ने यह किया उससे यह सम्बन्ध रखता है और जब यह मान लिया जाता है कि यह भयंकर भूल है तो किसी भी मुख्य मन्त्री ने या मन्त्री ने, सचेतक ने या इस संशोधन के समर्थन करने वालों ने और यहां तक कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी यह नहीं कहा कि उस व्यक्ति के विरुद्ध, उस विभाग के विरुद्ध, उस मन्त्रालय के विरुद्ध या उस सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

मैं चाहूँगा कि इस पंचायत विभाग के सम्बन्धित मन्त्री महोदय इस पर रोशनी डालें और इसका समुचित उत्तर दें और इस बात को स्पष्ट करें कि उन्होंने इस विषय में उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है।

यह भी जानने की चीज है, प्रत्यक्ष है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता; सर्व विदित चीज है। राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान के हर कोने में विदित है कि राजस्थान में आज किस तरह की राजनीति चलती है और इस दृष्टि से यह स्वीकार किया जावे कि यहां दलबन्दी है। इससे इन्कार करना यह हिम्मत की बात नहीं है, कमजोरी है और यह एक कमजोरी से, बुजदिली से कम नहीं है। स्वीकार करना चाहिये कि यहां दलबन्दी चल रही है और इस आधार पर या उस आधार पर चल रही है तो इस आधार पर बनी हुई पंचायतें हैं तो उनको खत्म करने के बाद एक तरफ यह दलील दी जाती है कि अनारकी हो जावेगी, पर इसके साथ ही दूसरी दलील भी यह तथ्य रखती कि जो कुछ इस आधार पर कायम की गई ये पंचायतें है,जो कुछ ये कायम हुई हैं वे डेमोक्रेटिक नहीं है तो अगर ये खतम होती हैं तो डेमोक्रेसी खत्म नहीं होती, अनारकी नहीं पैदा होती और इसके खत्म होने से दूसरी जो कायम होंगी वे प्रजातान्त्रिक होंगी या उनको कायम रखना प्रजातान्त्रिक होगा। दोनों दलीलें हैं और मैं समझता हूँ कि जैसी भी आज की यहां राजनीति है उसको देखते हुए विरोधी पक्ष की ओर से जो दलील आई है वह सही है।

(करतल ध्वनि हियर-हियर की आवाज)

मुख्य मन्त्रीजी की ओर से यह भी दलील दी गई है कि हिन्दुस्तान भर में इस तरह के पॉवर भिन्न भिन्न राज्य सरकारों को दिये गये हैं और जहां भी पंचायत एक्ट बने हैं इसी तरह के पॉवर सरकारों को हैं। इसलिए उन्होंने यह कहा की वे नहीं समझ पाते कि वे ही अधिकार इस सरकार

[श्री किशनलाल शाह]

को क्यों नहीं दिये जाते; इसके लिए इतना हो हल्ला क्यों मचाया जाता है ? ठीक है, सिद्धान्त के तौर पर मैं इसे स्वीकार करता हूँ । परन्तु माननीय मुख्यमन्त्री जी ने इस बात पर थोड़ा सा और गहराई से नहीं सोचा कि एक ही पॉवर किसी को दिया जाता है, किसी को नहीं । एक तलवार है। एक हिंसक को दी जा सकती है या एक निहत्थे को जो अहिंसक है और सही काम के लिए उसका उपयोग करता है । तो यह पॉवर किसको दिया जावे, यह एक प्रश्न पैदा होता है । तो मैं कहूँगा कि यह देश-काल परिस्थिति को देखते हुए, जैसी परिस्थिति जिस सरकार की होती है उसको देखते हुए निश्चित किया जाता है । तो आज राजस्थान में जो वातावरण है ऐसे वातावरण में, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे राजनैतिक वातावरण में ऐसी सरकार को, जिसके ऊपर चारों तरफ से रोज आरोप और लांछन लगाये जाते हैं, रोजमर्रा लोगों की शिकायतें आती रहती हैं, ऐसी परिस्थितियों में ऐसी सरकार को ये अधिकार दिये जाने चाहिये या नहीं, इस बात को शायद वे भूल गये ।

(तुमुल करतल ध्वनि एवं हीयर-हीयर)

और इसलिए यह ठीक है कि यह जो संशोधन आया है, जो प्रस्ताव आया है यह प्रवर समिति को विचारार्थ सौंप दिया जावे । आज के इस वातावरण में, आज जो चीजें हो रही हैं उस वातावरण को बढ़ाने के लिए, उन चीज़ों को कायम रखने के लिए यह पॉवर इस सरकार को दिया जाना चाहिये या नहीं, इस पर वहीं पर अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है ।

(करतल-ध्वनि)

और इसके बाद में यह भी दलील देना कि साहब यह घटनाओं का अतिक्रमण कर दिया, यह झूठ कह दिया, परम्पराओं की बातें हम कहते हैं कि हमें शुद्ध परम्परायें कायम करना चाहिये; मैं भी इसके लिए कहता हूँ, हर समझदार आदमी इसके लिए कहेगा । पर मेरी समझ में नहीं आया कि यह परम्पराओं की बात करने वाले खुद भी परम्पराएं निभाते हैं या नहीं ।

(जोर से हंसी एवं करतल-ध्वनि)

यह ताल ठोंक कर कहा गया, चेतावनी देकर कहा गया कि राजस्थान में सिवाय शेड्यूल कास्ट के एक भी जगह लोगों की एक भी पंचायत में नियुक्ति नहीं की, पर जैसा कि दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि अमुक पंचायत नोमिनेटेड है तो इस पर कहते हैं, हां हो सकता है । तो इसके माने साफ हैं कि तथ्य देकर बात नहीं कही गई पर चाहते हैं कि लोगों की आंखों में धूल झौंकने के लिए कोई बात कह दें । जैसी कि दलीलें और युक्तियां और तर्क निकाले जा रहे हैं साबित करने के लिए तो इसलिये यह कह देना कि यह गलत है, वह गलत है, तो इस तरह से तो हम भी कहते हैं कि इधर से भी जो कहा जाता है कि वह गलत है ।

[श्री किशनलाल शाह]

(विरोधी दल की ओर से "हियर हियर" की ध्वनि)

तो सही चीज लाने के लिये यह देखा जाता है कि यह चीज किस भावना से की जाती है इसका परिणाम क्या होगा, इसका लक्ष्य क्या है। इसके लिये सरकार की ओरसे जो दलीलें दी जाती हैं वे सही नहींहैं। इसलिये मैं चाहूँगा कि सम्बन्धित मंत्री महोदय इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें।

यह दलील दी गई कि यह डेमोक्रेटिक है। मैं समझ नहीं पाया कि डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है ? क्या ५ आदमी एक जगह बैठ कर, एक जगह इकट्ठे होकर तय कर लेते हैं और कहते हैं कि यह नहीं माना तो सब गड़बड़ हो जायगा, क्या यह डेमोक्रेसी की परिभाषा है ? गलती हो गई, इस गलती को दुरुस्त करेंगे तो इसका इस तरह का नतीजा निकलेगा, इस तरह के प्लान्स बनाते हैं, ५ आदमी बैठ कर काम कर लेते हैं और उसका निर्णय दे देते हैं और इसके बाद यह दलील दी जाती है कि इसको नहीं मनाया तो ऐसा हो जायगा। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं, यह तो कुछ आदमियों का राज्य पनपाने की परम्परा है। इस प्रकार की परम्परा को बनाये रखने के लिये यह संशोधन लाया जाता है। क्या डेमोक्रेसी की यही परिभाषा है कि ५ आदमी इकट्ठे होकर कोई परम्परा तय करें और उसको सब पर थोप दें।

मैं चाहूँगा कि मन्त्री महोदय इस पर और अधिक से अधिक प्रकाश डालें और फिर इस पर बात करें।

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय सभापति, इस पंचायत संशोधन बिल पर दो दिन से बहस हो रही है। मैं भी इस पर दो शब्द सदन के सामने उपस्थित करना चाहती हूं। यह अमेंडमेंट जो हमारे सामने आया है इसके ऊपर हमारे माननीय सदस्यों ने, उधर बैठने वाले और इधर से भी अनेकों भावनाएं व्यक्त की गई हैं और उधर से भी अभी मैंने सुना कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा कि उधर कुछ सदस्यों की ऐसी भावना बन गई है कि वे हर एक चीज़ का विरोध करें। पर माननीय अध्यक्ष, भावनाओं के साथ भावना अपने आप तैयार हो जाती हैं और उसी के साथ हमारी भावनाएं व्यक्त होती हैं। सरकार को मालूम था कि यह अमेंडमेन्ट अगर हम सदन के सामने लायेंगे तो विरोधी दल के सदस्य इसका विरोध करेंगे।

अगर सरकार को अपनी सत्ता के मद में या बहुमत के बलपर कोई कानून पास करना है, उसको रद्दोबदल करना है और उसके ऊपर अगर हमारे सदस्यों की सलाह नहीं लेना है तो ऐसा कानून हमारे सदन के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करना चाहिये। अगर करना है, आपको हमारी सलाह लेनी है तो जो हमारे माननीय सदस्य कहें उस पर सरकार को बेशक मनन करना चाहिये और खूब मनन करके उनका कहना मानना चाहिये।

[श्रीमती यशोदा देवी]

माननीय सभापति, अगर सरकार ने वास्तव में अपने बहुमत से ऐसे कानून को पास करने की ज़िद पर इसको बदल दिया और पास कर दिया तो यह कम से कम राजस्थान सरकार के लिये शर्म की बात होगी और हमारे जनतन्त्र को वास्तव में धक्का लगेगा। माननीय अध्यक्ष, सरकार चाहे माने या न माने पर जिस जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजा है उनको तो कानून के ऊपर विचार करके व अपने पद का लोभ और लालच छोड़ कर जनता की भलाई की जो चीज़ है उस पर मनन करना चाहिये और सरकार के सम्मुख वास्तविक चीज रखनी चाहिये। बस यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री कुम्भाराम आर्य—अध्यक्ष महोदय, इस पंचायत बिल के सम्बध में जो अमेंडमेंट आया है उस पर लोगों ने बोलने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनको शंका की बातें कहा जा सकता है। बहुत से भाई बोलते समय कुछ नाराजगी प्रगट कर गये। मैं इस बिल के बारे में इतना सा कहना चाहूंगा कि इस बिल को पास नहीं करने से करीब करीब सारे राजस्थान पर बुरा असर पड़ेगा। जो कहा जाता है कि बिना विचारे किया है इसलिये पछताना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। फिर इस काम करने में कोई भी भाई बाकी हो, ऐसी बात नहीं है। जो भाई बिना विचारे करने को कह रहे थे वे भी इसको पास कराने में शामिल थे और यह कहना कि यह गलती हुई है, यह गलत है क्योंकि ज्यों ज्यों परिस्थितियां बदलती हैं और कानून के जो अर्थ होते हैं उसके बारे में विचार करना पड़ता है। इसलिये यह कह देना कि जो लोग राज्य कर रहे हैं उनमें इतना माद्दा नहीं है; कानून सही नहीं बना रहे हैं, यह सारे हाउस पर आता है कि हाउस ने ऐसा गलत कानून बनाया।

श्री भोपालसिंह—कानून सही बनाया गया था, पर उसका पालन ठीक तरीके से नहीं किया गया।

श्री अबनिकुमार मुखर्जी—कानून सही बनाया पर कार्यान्वित ठीक तरीके से नहीं किया गया।

श्री कुंभाराम आर्य—टाइम मुझे थोड़ा ही मिला है, इस तरह से तो मैं अपने दिल की बात न कह सकूंगा। मैं ऐसे ही रह जाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ)— आप तो रह गये।

श्री कुंभाराम आर्य—तो इस कानून को पास कर देने में ही राजनीति और प्रजातन्त्र दोनों का हित है। अगर पंचायतों को खत्म कर देते हैं तो उन्होंने आज तक जो फैसले दिये हैं वे सब खत्म हो जाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री कुम्भाराम आर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे लिये इतनी सी कृपा कर दें कि मुझे शान्ति से बोलने दें, मैं किसी भी सदस्य के बोलने में गड़बड़ नहीं करता तो उनको भी दया करनी चाहिये कि मैं जब उनका काम न बिगाड़ूं तो वे मेरा काम क्यों बिगाड़ें ?

इसमें हमें यह समझ कर चलना है कि राजस्थान की राजनीति और हमारा प्रजातन्त्र सब से सुन्दर बने, ऐसा काम करना चाहिये और वह इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार किये बगैर बन नहीं सकता।

पहले बोलने वाले भाई ने कहा, राजगढ़ में पंचायत में ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मैं सदन से और उन माननीय सदस्य से कह सकता हूँ कि उनको जितनी गलती थी उतनी किसी की गलती नहीं थी। उनके लोगों ने लाठियां चलाईं, कांग्रेस वालों को पीटा है, उनके खिलाफ ३०७ के मुकदमें दर्ज हुए हैं तब अधिकारियों ने लिखा कि यहां लॉ एन्ड ऑर्डर चला गया है इसलिये यहां नोमिनेटेड सदस्य होने चाहिये, यहां इलेक्शन होना नामुमकिन है। उस समय माननीय सदस्य मेरे पास आये और कहा, आयन्दा लाठी नहीं चलायेंगे दूसरा चुनाव करा लो। मुझसे खुद से बोले कि हम आयन्दा लाठी नहीं चलायेंगे। मैंने कहा, कांग्रेस वाले एक बार पिट गये तो पिट गये दुबारा आपकी बात मान लेंगे। इतना सब कुछ होते हुए भी यहां इतने बड़े हाउस में कह दिया कि लॉ एन्ड ऑर्डर इसलिये चला गया कि कांग्रेस वालों ने लड़ाई की। कांग्रेस वाले पिटे, उनके लाठियां लगीं, वे अस्पताल में भर्ती हुए फिर भी कहना कि लॉ एन्ड ऑर्डर इसलिये चला गया कि कांग्रेस वालों ने लड़ाई की; इस तरह की बातें कह कर हाउस की हवा बिगाड़ी जा सकती है पर चाह को नहीं भुलाया जा सकता।

चाहे इधर से बोलें चाहे उधर से बोलें दोनों बैंचे एक सरीखी हो गई। इनकी शंकाएं एक जगह जाकर टिकती हैं। एक तरफ यह कहा जाता है कि जाट वाद राजस्थान में फैल रहा है और दूसरी तरफ ....

(घंटी)

श्री सभापति—आप पंचायत एमेंडमेंट पर बोलिये।

श्री कुंभाराम आर्य—पंचायत में जाट फंस गया है।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—Anti-thesis पर बोल रहे हैं।

श्री कुंभाराम आर्य—एक जाटवाद फंस गया और जब दूसरे लोगों को हाउस का टेम्पो बदलना होता है तो जागीरदार का नाम ले लेते हैं, ये राजस्थान में सबसे बड़े खतरे हैं। ये ही

[श्री कुंभाराम आर्य]

खतरे पैदा हो गये हैं। जेट से बहू नहीं बोलती है तो वह बेटे की मां अपने बेटे के साथ कहलाती है, इसी तरह से आप खुद नहीं कहते तो दूसरे को खड़ा करके एक-दो से कहलवाते हैं कि जाट को गाली निकाल दो और यही परम्परा दूसरों के लिये भी लागू होती है...

श्री सभापति—I will request the Hon'ble Member to follow Parliamentary language.

श्री कुंभाराम आर्य—माननीय चेअरमेन, श्रीमान्जी मैं उन शब्दों को जो पार्लियामेंट्री नहीं हैं उनको वापिस लेने की इच्छा रखता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी मेरी इच्छा यह नहीं रही है कि ऐसे शब्द निकालूं और न इस प्रकार की इच्छा रखता हूँ। इसलिये वे शब्द जिन्हें अन-पार्लियामेंटरी समझा गया मुझको अध्यक्ष महोदय बतलाने की कृपा करें, ताकि उन्हें वापिस लेने की मांग कर सकूं।

मैं यह कह देना चाहता हूँ कि राजस्थान में जाट रहेंगे, राजपूत भी रहेंगे। दोनों ही बड़ी जातियें हैं। मगर इस तरह आप लोगों के दिलों में शंका डाल देंगे तो इसका जो बुरा असर होगा उसका नतीजा राजस्थान की जनता को भुगतान पड़ेगा। इसके लिये मैंने आपसे कई बार कहा है और फिर भी कहता हूँ कि इस बात को जितना बढ़ावा देंगे उतना ही लोगों को शक बढ़ता जावेगा। जो व्यक्ति अपने आपको कोम्युनिस्ट पार्टी के कहते हैं उनके दिल में भी जाटवाद को सुन कर बुरी प्रतिक्रिया हुई। शुरू से 'जाट जाट' के लिये कह रहे हैं। जहां जाटों की संख्या ज्यादा है वहां जाट ही नम्बरदार रहेगा। हाउस के चुने हुए व्यक्ति जिनको एक लाख आदमियों ने चुना है और कम्यूनिस्ट पार्टी जैसी संस्था के सदस्य हैं उनके दिमाग को इतना असर हो गया है, आम आदमी जिनके लिए आप ऐसा कर रहे हैं उन पर उसका क्या असर होने वाला है, इसीसे समझिये इस तरह किसी कानून का सहारा लेकर आप किसी को बदनाम मत कीजिये किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार कह कर बदनाम कर दें कि जाट-वाद फैल रहा है और बदलती हुई राजनिति में कहीं से गलत-सही आंकड़े इकट्ठे सुन सुना कर ले आते हैं और कहते हैं कि जाटों को ज्यादा सीटें दे दी गईं। जहां पर जाट ज्यादा हैं वहां सदस्य ज्यादा होंगे ही, मगर फिर भी कहीं गलती हो तो जब पंचायतों के क्षेत्र राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे उस समय दरख्वास्त करके दुरुस्ती करानी चाहिए थी। मैं यह कहूँगा कि कहीं अगर वहां के सदस्य या लोग दरख्वास्त देते और अगर उनकी दरखवास्त रिजेक्ट हो जाती तो कहते कि उनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई। मगर किसी ने दरखवास्त दी ही नहीं और फिर कहते हैं कि सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं करती, यह वाजिब कैसे हो सकता है।

श्री वेदपाल त्यागी—दरखवास्तें दी गई थीं, मगर सुनवाई नहीं हुई।

श्री कुम्भाराम आर्य—श्रीमान्‌जी ने जिन गांवों के नाम पढ़ कर सुनाये हैं वहां से एक आदमी ने भी कोई दरखवास्त नहीं दी कि क्षेत्र कम किये जावें। बहुत सी जगह गल्ती हो सकती है क्योंकि यह काम पंचायत के इन्सपेक्टर के हाथ में था। कहीं जाट ज्यादा और कहीं राजपूत ज्यादा थे और कहीं ब्राह्मण व बनिये ज्यादा थे; दूसरे स्थानों पर क्या गलती नहीं हुई होगी सिर्फ जहां जाट ज्यादा थे वहां पर ही गल्ती हुई है। बोलने वालों में से किसी का किसी ने अन्य का नाम नहीं लिया। ३००० के करीब पंचायतों में से आपने जाटों के नाम की पंचायतों को पढ़ कर उदाहरण रूप सुना दिया। ऐसी पंचायतें भी हैं जहां ब्राह्मण, बनिये अधिक हैं, उनके नाम तो नहीं सुनाये। आप किसी एक जाति पर अटेक करते हैं, यह ठीक नहीं है। मैं लोक तन्त्र के लिये यह कहना चाहता हूँ कि लोक तन्त्र में अगर इसको नहीं छोड़ा गया तो यह हितकर नहीं होगा। आपको कानून के बाहर नहीं जाना चाहिये। आपको यह देखना चाहिये कि इस एमेन्डमेंट से क्या नतीजा निकलेगा। यह जो एमेन्डमेंट रखा गया है वह बिल्कुल वाजिब रखा गया है और इससे राजस्थान में प्रजातंत्र फूलेगा फलेगा। हमारे अन्दर जो शंकाएं हैं उनको इस प्रकार कानून की आड़ में यहां सदन में नहीं कहना चाहिये, इसके लिये और मैदान बहुत है। बाहर मैदान में चलिये वहां निपट लेना।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, on a point of personal explanation. I want to......

श्री सभापति—I think you have already spoken.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of personal explanation, Sir, some allegations have been made and my name has been mentioned just now.

श्री सभापति--Order !

श्री हरिकृष्ण व्यास—Some allegations have been made and on personal explanation...........

श्री सभापति--If we resort to allegations on either side then it will be impossible to carry on the business of the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am neither making any allegations not it is my intntion to make allegations, but one Hon'hle member has made certain allegations concerning me and I would request the Chairman under the Rules of Business to give me time to give personal explanation, Sir.

श्री सभापति—How long will you take ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will take not more than three minutes, Sir.

श्री सभापति—All right. I am counting three minutes.

Page No.49

श्री **कुम्भाराम आर्य**—अगर हरिकृष्ण जी बोलेंगे तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। अगर इनको बोलने के लिये समय मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा ?

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—This time will not be counted, Sir, in my time I hope.

अभी यह कहा गया कि राजगढ़ तहसील में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने झगड़ा खड़ा किया और उसके बावजूद भी उन्होंने चुनाव कराये। मैं यह कहूँगा कि यह फेक्ट सही नहीं है। फेक्ट वास्तव में इस प्रकार है कि वार्ड्स में गड़बड़ी हुई, उसके बारे में मैंने जिक्र किया, उसकी वजह से चुनाव नहीं हुआ और चुनाव नहीं होने से दंगा नहीं हुआ। दंगा कब हुआ ? दंगा तब हुआ जब चुनाव नहीं हुआ था। मैंने संस्था की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया। सेक्रेट्री ने लॉ सेक्रेट्री के पास भेज दिया और लॉ सेक्रेट्री ने मिनिस्टर के पास भेज दिया। मिनिस्टर ने उसको दबा कर रख लिया। एक दिन मेरी उनसे बात-चीत हुई। मैंने कहा कि उस एप्लोकेशन का क्या कर रहे हो, तो बात-चीत के दौरान में उन्होंने कहा कि कोम्युनिस्ट, तेरा राज्य आवे तो तुम भी बदला ले लेना।

श्री **कुम्भाराम**—यह सज्जनता का दुरुपयोग किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य—आप सद् उपयोग कर रहे हैं।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—इसके बाद टंटा क्या हुआ ? यहां से नोमिनेटेड पंचों को शपथ दिलाने के लिए जाने लगे तो उस इलाके के लोग इकट्ठे हो गये और यह कह रहे थे कि पंचायत के तहसीलदार को शपथ नहीं खाने देंगे। इस पर दंगा हो गया, सर तो किसके फूटे और कैसे फूटे, यह तो कोई इन्क्वारी करें तो आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन यह बात सही है कि नोमिनेटेड पंचों का जनता ने विरोध किया। उसके बाद मैंने कहा कि नोमिनेशन रद्द करो। उन्होंने नोमिनेशन रद्द किये। उन्होंने कहा कि चुनाव करेंगे, उस वक्त में लाठियें चलेंगीं.....

श्री **कुम्भाराम आर्य**—आपने लाठी न चलने का आश्वासन दिया था।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—उसके बाद में लाठी चलाने का प्रश्न हीं नहीं था। मैंने यह कहा कि अगर आपने पंचायत के नोमिनेशन केन्सल......

श्री **कुम्भाराम आर्य**—आप पूरा सत्य क्यों नहीं बोलते ?

श्री **अध्यक्ष**—I think the Hcu ' h!e Member will...........

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—अगर आइन्दा भी नोमिनेशन होगा तो गड़बड़ी होगी। पब्लिक नोमीनेशन को बर्दास्त नहीं करेगी, इसलिए इसके लिए मुझे हाउस का डर नहीं दिखाया जा सकता है।

Page No.50

श्री सभापति—You have taken three minutes. Order! May I call upon the Hhn' ble Minister to give the reply ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—माननीय चैयरमेन, जो संशोधन सदन के सामने पेश किया गया है उस पर दो रोज से बहस हुई है उसको मैंने बहुत गौर से सुना और ऐसा लगता है कि इसमें किसी के सर को कत्ल किया जा रहा है। पंचायत के चुनाव में अव्यवस्था हुई, वार्ड गलत बने; क्षेत्र गलत तौर से बने लेकिन अब हमको इसके लिये कुछ न कुछ कार्यवाही करनी है। ३२०० पंचायतों में से १९०० पंचायतों के ऊपर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका असर पड़ता है। इसमें बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जिनकी शिकायत नहीं है। उनकी १०० या २०० के बारे में चुनाव की शिकायत होगी, लेकिन १६०० पंचायतें कायम हो चुकी है जिनके बारे में कोई शिकायत नहीं है।

मैंने इस सदन में अनेक बार निवेदन किया था कि अगर किसी सदस्य को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो वे मुझे बतावें; कानून में, वार्डों के बारे में क्षेत्र के बारे में या चुनावों के बारे में कोई अनियमिततायें हुई हों तो मैंने निवेदन किया था और अभी भी फिर उनको दोहराता हूँ कि अगर ऐसी बातें हुई हों तो उनको मैं हमेशा सुनने को, देखने को और कानून के अनुसार जो कुछ उसके अन्तर्गत किया जा सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, उन अनियमितताओं को मिटाने के लिए तैयार हूँ।

(राज्ज-पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे किसी ने लिख कर नहीं दिया कि फलां फलां क्षेत्र में गड़बड़ी हुई है और इस तरह की बात है, लेकिन हाउस में जब इस प्रकार की बातों का जिक्र आता है तो मैं समझ नहीं पाता कि इसमें क्या राजनैतिक चाल है, मैं तो सीधा-सादा आदमी हूँ, मुझे उसका पता नहीं लगता। हाउस में उन बातों का जिक्र आता है और कहा जाता है कि बडी ज्यादतियां हो गई हैं, बड़े जुल्म हो गये हैं; न मालूम क्या हो गया है, क्या कोई आसमान टूट गया है ?

श्री भैंरूसिंह—आपको बताया गया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(अपना भाषण जारी रखते हुए) आप मुझे डिस्टर्ब न करें तो अच्छा हो। मुझे बोल लेने दीजिये। आपको काफी टाइम मिल चुका है बोलने के लिए।

श्री भैंरूसिंह—आप कह रहे थे कि बताया नहीं गया, इसलिए मैं कह रहा था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दूसरा, माननीय चेयरमेंन, मैं कहूँ कि जो गलतियां हो गई उनकी दुहाई हाउस में दी जाती है और गवर्नमेंट से कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऐक्शन लेगी लेकिन जब गवर्नमेंट उनके लिए पॉवर्स मांगती है और जब पॉवर्स देने का मौका आता है तो वे ही सदस्य इसकी खिलाफत करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार के गवर्नमेंट को पॉवर्स नहीं दिये जाने चाहिए। अभी यहां यह कहा गया कि बहुत से पंचायत क्षेत्र ऐसे हैं कि एक गांव एक जगह है और दूसरा गांव दूसरी जगह लगा दिया और जब मैं कहता हूँ कि पंचायतों की ओर से रिक्वेस्ट नहीं आई और जब उन क्षेत्रों के लिए नोटिफिकेशन हो गया तो कानून के अन्तर्गत जो बात थी उसके अनुसार उनको दूर नहीं किया जा सकता और उस चीज़ को ठीक करने के लिए यदि अमेन्डमेंट लाया जाय तो आप लोग लाने देना नहीं चाहते; तो ऐसी सूरत में उन शिकायतों को कैसे दूर किया जा सकता है और शिकायतें करने का कोई मतलब भी नहीं रहता। जब तक आप लोग कानून द्वारा पॉवर्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट उसको दूर करने में असमर्थ रहेगी। अगर गवर्नमेंट के पास पॉवर्स होंगे और इस प्रकार की बातें ध्यान में आवेंगी तो हमेशा उनको दूर करूंगा और अभी भी उसके लिए तैयार हूँ।

आपको गलतफहमी इसलिए हुई है कि हाईकोर्ट का फैसला हुआ और जिस बिना पर यह सारी कार्यवाही की गई है उसका इल्म मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत कम सदस्यों को है। उसकी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा।

बर में पुरानी पंचायत, मारवाड पंचायत कानून के अनुसार कायम थी और वह सिंगल विलेजेज़ ग्रूप कॉस्टिटुएन्सी के आधार पर कायम थीं। नया जो कानून बना उसमें सिंगल कॉस्टिटुएन्सी ग्रूप ओफ विलेजेज़ के बेसिस पर सरकार को अधिकार दिये गये थे दफा ३ के अनुसार कि जैसा चाहें पंचायतें कायम करेंगी, किसी पंचायत के एरिया को दूसरी पंचायत में जोड़ सकेगी अथवा एक से तोड कर दूसरी में जोड सकेगी। जैसा कि मुख्यमंत्रीजी ने बताया कि मार्च और अप्रेल में इस सरकार के आने से पहले जो सरकार थी उस सरकार ने सारे राजस्थान में ग्रूप ओफ विलेजेज़ के आधार पर पंचायतें बनाई और उनका एलान किया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वेन्क्टाचार मिनिस्ट्री से मतलब है या दूसरी सरकार से, क्या मतलब है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं इससे पहले की सरकार की बात कह रहा हूँ।

(विराम)

आप इस तरह डिस्टर्बेन्स पैदा न करें। यह तो एक तरह से कम्युनिस्ट तरीका है जो हाउस में नहीं लाना चाहिए।

(हंसी)

Page No.52

(श्री हरिकृष्ण व्यास के खड़े होने पर)

श्री सभापति—Order plese !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Order pleaase !

(हंसी)

तो चेयरमेन महोदय, माननीय सदस्य चेयरमेन महोदय के ऑर्डर देने पर भी डिस्टर्ब करते हैं। वे अपनी बातें बार बार कहते हैं खड़े होकर और दूसरों की बातें सुनना ही नहीं चाहते।

तो मैं यह बात कह रहा था कि ग्रूप ऑफ विलेजेज़ के आधार पर पंचायतें चुनी गई। इस तरह से ३२०० पंचायतों में से १९०० पंचायतों पर यह जो कानून है उसके न बनने पर असर पड़ने वाला है और जो १३०० पंचायतें हैं वे ग्रूप ऑफ विलेजेज़ के आधार पर बनी रहने वाली हैं। अगर कहीं गलती हुई है तो बाकी में भी हुई है, यह नहीं कहा जा सकता कि बाकी में नहीं हुई है और इनमें ही हुई है, यह मानी जाने वाली बात नहीं। गलतियां ठीक करना है तो सारी में ही ठीक करना है। चूंकि १९०० में गलतियां हुई हैं इसलिए उनको खत्म कर दिया जाय, मैं इस दलील को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।

एक यह दलील दी गई कि राज्य की ओर से और अधिकारियों की ओर से जबरदस्त गलती की गई है और उसके लिए सजा देनी चाहिये; जिसके लिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बता दिया था। मैं आपसे अर्ज करूं कि इस कानून की जो दफा ९३ है जिसमें यह बताया गया है कि जुदा रिकॉन्स्टिट्यूट की जावेंगी और इस रिकान्स्टिट्यूट का मतलब रिइलेक्शन से लेते हैं, हाईकोर्ट का मतलब है कि रिइलेक्ट करना। वे कहते हैं कि यह आपने बना दिया, वह ठीक नहीं है। कानून का जो इन्टरप्रिटेशन है उसके लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि एक मुन्सिफ का फैसला है, वह जज के पास जाकर उल्टा हो जाता है और दूसरा उसका जो फैसला है वह हाई कोर्ट में जाकर उसके प्रतिकूल हो जाता है। अगर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके विरुद्ध हो जाता है, वे दूसरा इन्टरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, उसके ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं। तो कानून महासमुद्र है। किसी ने गलती की, जिसको गलती समझा जाय लेकिन दूसरा समझता है कि गलती नहीं की। मैं पाबन्द हूँ उस बात के लिए कि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया और मैं यह भी मानता हूँ कि हाई कोर्ट के अलावा ऊपर की अदालत में जाते तो हाई कोर्ट का फैसला नहीं ठहरता। कई मिसालें इस प्रकार की मौजूद हैं जिनमें कि हाई कोर्ट ने फैसले दिये और सुप्रीमकोर्ट ने उनको ना मंजूर कर दिया। एक हाई कोर्ट का कुछ इन्टरप्रिटेशन है तो दूसरी हाई कोर्ट का कुछ इन्टरप्रिटेशन है। इसलिए यह कहना कि गवर्नमेंट ने गलती की, मैं समझता हूँ कि इस सदन के बहुत से सदस्य उस कानून के मतलब को नहीं समझते। मैंने कानून पढ़ा जरूर है, मैंने प्रेक्टिस भी की।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मैं कानून में माहिर हूँ और हमारा फैसला आखीर है ;तो मैं समझता हूँ कि यह बात गलत होगी और न्याय संगत भी नहीं होगी।

जो सारी बातें हुई हैं वे दफा ६३ को लेकर हुई। उसमें जो इन्टरप्रिटेशन हाई कोर्ट में किया गया उससे गड़बडी हुई है। इस सारे कानून में तीन सेक्शन है। एक दफा ३ है जिसके मुताबिक कि हाई कोर्ट ने लिखा है कि जहां पर जिन पंचायत क्षेत्रों में पंचायतें नहीं है वहां पंचायतें बनाइये। मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं हाई कोर्ट के फैसले से इस बात को जाहिर करूं कि दफा ३ के लिए है जो नई बनाई जाती है पुरानी के लिये यह लागू नहीं है।

(श्री लालसिंह शक्तावत उपाध्यक्ष, पदासीन)

दफा ८६ और है। इन पंचायतों के बनने के बाद जिनका एरिया मिलाया जा चुका है, वहां प्रबन्ध होने के बाद एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में तब्दिल करने की बात हो तो दफा ८६ है, जिसमें उनके बदलने का नियम बताया गया है। उनको बदलना हो तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट यह कार्यवाही करे। ये तीन सेक्शन हैं और वे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रखे हैं। दिक्कत उस वक्त आई जब कि 'रिकोन्स्टिट्युट' शब्द का इन्टरप्रिटेशन किया गया। दफा ८८ और ६३ जिस तरह से राजस्थान पंचायत कानून में रखी गई हैं और जिस तरह से हाई कोर्ट ने गलत बताया, मैं समझता हूँ जितने एक्ट हिन्दुस्तान में हैं उनमें इस प्रकार की धाराएं कहीं नहीं है और इस प्रकार की बाधायें कहीं नहीं है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, ११-३० बजे पदासीन)

दफा ८६ के मुतल्लिक हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है वह भी मेरे पास मौजूद है। अगर कोई तब्दीली करना है तो एक गांव को दूसरे गांव में तब्दील कर सकते हैं। यह वहां के क्षेत्र वालों की रिक्वेस्ट पर और गांव वालों की दरख्वास्त पर हो सकता है, अन्यथा गवर्नमेन्ट को सुओ मोटो करने के पॉवर नहीं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैंने इस सम्बन्ध में बहुत से कानून देखे हैं उसमें किसी में भी इस तरह से नहीं है कि ग्राम पंचायत की दरखास्त पर गवर्नमेंट ऐसी कार्यवाही कर सकती है, ऐसे नियम अन्य किसी स्थान पर भी गवर्नमेंट के पास नहीं है, हिन्दुस्तान की ग्राम पंचायतों के एक्ट में कहीं कहीं है। मैं उन सारे कानूनों को यहां लाया हूँ और मैंने नोट किया है, उसी के आधार पर जानकारी देना चाहता हूँ जिसके मुतल्लिक यह कहा जा रहा है। कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, जनता के हक ले रही है, उनके हकों पर कुठाराघात कर रही है। एक माननीय सदस्य ने तो कुठाराघात से भी तेज शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जो मुझे याद तक नहीं रहे। मुझे उनके शब्द इस्ते-

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

माल करने का अभ्यास नहीं। मैं अब आपके सामने दूसरे स्टेटों के पंचायत कानूनों में क्या है, वह उपस्थित करना चाहता हूँ। पंजाब में दफा ४ के सब सेक्शन तीन में यह दर्ज है।

"Government may by notification include or exclude any area at any time"

इसमें नोटिफिकेशन है, जो दफा ८६ में प्रोवाइड किया गया है। गवर्नमेंट पहले नोटिस देगी, फिर उसके बाद में यह निश्चय करेगी कि कौनसे एरिया का कहां तबादला किया जा सकता है; फिर उसको चेन्ज करने की बात होगी। इसमें कोई कुठाराघात करने की बात नहीं। हम नोटिस शाया करेंगे और जिस किसी को ओब्जेक्शन हो उसको मौका दिया जायगा, लेकिन जैसा कि मैने ऊपर बताया पंजाब में इस तरह की बात नहीं है।

बम्बई में है वह इस प्रकार है :

"Goverment may include or exclude asy area after consultation with the District Borads."

डिस्ट्रक्ट बोर्ड को कन्सल्ट कर लेंगे, फिर गवर्नमेंट नोटिफाइ करके उस एरिया को निकाल देगी।

यू० पी में इस प्रकार है :

"by notification, at its own motion or at the request"

इसके अन्दर भी गवर्नमेंट को अधिकार है।

नोटिफिकेशन पहले निकाला जायगा ऐसा कहीं भी प्रोवीजन नहीं है।

पेप्सू में "At any time" है।

एरिया के डिसाइड करने के बाद गवर्नमेंट एरिया चेन्ज कर सकती है। इसी प्रकार मैसूर, सौराष्ट्र आदि में भी कहीं ऐसी बात नहीं कि विलेज पंचायत के कहने पर एरिया चेन्ज कर सकते हैं।

कल ही इस सदन में ऐसा कहा गया था कि पंचायत एरिया के मामले में गलती हुई हो तो उस एरिया को चेन्ज किया जाना चाहिये। तो मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि इस कानून के रहते हुए गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। मान लीजिये आपने धारा सभा में एक बात कही; कोई एम० एल० ए० यह महसूस करता है कि यह पंचायत क्षेत्र ठीक नहीं हुआ, क्या आप उसको चेन्ज नहीं करना डेमोक्रेसी समझते हैं कि उसके कहने के अनुसार चेन्ज नहीं किया जाय। यह कभी

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते । मैं यह जरूरी मानता हूँ कि गांव वालों को अधिकार होने चाहिये और वे हैं, जब हम धारा ८६ के अन्तर्गत इस चीज़ को नोटिफाइ कर रहे हैं, जब कि पहले यह प्रोवीजन नहीं था जब हम नोटिफाइ कर रहे है तो नोटिफाइ करने का अर्थ है कि हरेक को अपनी बात कहने का अधिकार होगा; एतराज पेश होंगे फिर उस पर गवर्नमेंट स्वयं निश्चय कर सकती है । लेकिन गांव वालों के कहने पर ही हम सिर्फ यह कर सकते हैं यह बात भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती । यह सब निकाल देने के बाद भी उनको कहने का, उनको प्रार्थना करने का अधिकार फिर भी रहेगा । नोटिफाइ करने के बाद भी होगा और वह पहले से है । दफा ८६ में अगर हम यह प्रोवाइड भी नहीं करें तब भी आप कानून के माहिरों को पूछ लीजिये, गांव वालों की बात सुननी होगी उनको गवर्नमेंट को कहने का अधिकार है । अन्तिम निर्णय गवर्नमेंट के पास ही रहेगा । इन शब्दों का ओमिट करके हम वह दायरा बढ़ा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि इस प्रकार का अमेंडमेंट लाकर गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि वह किसी पंचायत सर्कल के दायरे को बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है; ठीक है लेकिन इस बारे में भी माननीय सदस्य जो हमारे इन्स्पेक्टरों द्वारा डिमार्केशन किया गया है उसमें हेर-फेर करने की बातें कहें और यह भी कहें कि इसमें यदि कुछ शब्दों के हेर-फेर से और कोई अच्छा रास्ता निकल सकता है, मतलब वही रहना चाहिये जो कि अभी रखा जा रहा है तो गवर्नमेन्ट को उस प्रकार के शब्दों के हेर-फेर में कोई आपत्ति नहीं होगी । मैं बड़े अदब के साथ यह निवेदन करूंगा कि किसी के भी अधिकार लेने की बात इस अमेंडमेंट के अन्तर्गत हम नहीं कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि इसके द्वारा नोटिफिकेशन की बात भी खत्म कर दी गई । मुझे उनके इंटरप्रीटेशन पर अफसोस नहीं, अफसोस तो तब होता जब कोई कानून का जानकार इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन करता; तो मुझे कुछ अफसोस होता । मुझे खुशी है कि कानून जानने वाले बहुत व्यक्ति बोले लेकिन उन्होंने किसी ने ऐसी राय जाहिर नहीं की । यह जो माननीय सदस्य ने कहा वह ऐसी बात नहीं; धारा ६३ में और ८६ में दो-दो बातें अलग कहीं है । धारा ८६ पुराने इलेक्शन तक ही लागू है, आयन्दा हमेशा के लिये ८६ ही लागू होने वाला है । धारा ६३ में गवर्नमेंट के पास पावर हैं । एक बार पंचायत बन चुकी तो वह सेक्शन खत्म हो जाता है । आयन्दा तब्दीली की बात होगी, वह ८६ अन्तर्गत होगी । जो कानून के विज्ञ हैं और हमारे साथी है उन सबसे मैंने इस संबन्ध में बात की है और सब ने यही राय जाहिर की है । सब का यह निश्चित मत है कि दफा ६३ पुरानी पंचायतों पर लागू होता है और धारा ८६ आयन्दा होने वाली पर लागू होता है; दफा ३ नई पंचायतों पर लागू होने वाली है । तो मैं समझता हूं कि जिन परिस्थितियों में प्रस्ताव रखा है, क्यों यह प्रस्ताव रखा गया है, उसके अन्दर किस तरह की गलती हुई है डेमोक्रेटिक और अन डेमोक्रेटिक विचार जो जाहिर किये हैं इसके लिये अपने भाषण को समाप्त करने से पहले मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं । अगर ऐसी किसी बात में जिसमें जनता के हकों का खात्मा होगा और कोई अन-डेमोक्रेटिक बात होने वाली होगी या जैसा कि कल किसी नें कहा

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

कि यह तो गांधीजी के सिद्धान्तों का खून हो है रहा तो मैं बडी नम्रता से और अदब के साथ अर्ज करूंगा कि जहां कहीं भी ऐसी बात होती हुई नजर आवेगी तो मैं पहला आदमी हूंगा जो इसकी खिलाफत करूंगा।

(हर्ष ध्वनि)

चाहे वह कहीं से और किसी के भी कहने से हो। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी मुझ में कानूनी योग्यता है या जिसका मैंने अब तक अभ्यास किया है और अपनी इस अवस्था में जानकारी प्राप्त की है; विश्वास दिलाता हूं कि इस कानून के जरिये किसी के भी अधिकारों को नहीं लिया जा रहा है। धारा ८६ के अनुसार आपको नये अधिकार दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट से कहकर उनमें तब्दीली करवा सकते हैं।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं। कल विरोधी दल के नेता ने महात्मा गांधी के उसूलों की नसीहत दी; धर्म के नाम पर, गांधीजी के नाम पर कहने की कोशिश की और कहा। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि आज यहां मिसालें देकर गांधीजी के नाम पर कहना, किसी बात को कहकर उसके साथ उनके नाम को जोड़ना, यह जो आपने नया हथियार उठाया है किसी कांग्रेसमैन के लिये कह दिया, "Give the dog a bad name hang him"; यह जो तरीका आपने अपना रखा है यह ठीक नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा आप बुजुर्ग हैं विरोधी दल के नेता हैं मैं अर्ज करूंगा, यह आपके लिये उचित नही है।

यह जो अमेंडमेंट आपके सामने आया है उस समय मैंने यह नोटिफिकेशन की बात निकाल दी थी। इस बारे में जब उनसे बात हुई तो उन्होनें यह कहा था; इस तरह से आप जनता को नोटिस देने का यह अधिकार इसमें रखे ताकि हमें कोई आपत्ति नहीं होगी और मैंने उनके कहने के मुताबिक जो निश्चय हुआ था स्पीकर साहब के सामने, उसको माना और उस अमेंडमेंट को उसी तरह इनकोर्पोरेट कर लिया; पर उन्होंने उसी के लिए यहां हाउस में आकर अपोज़ किया। इसका दुख और किसी को नहीं होता, पर मैंने अपने जीवन में गांधीजी की बात को समझ कर उस पर आचरण करने की कोशिश की है, इसलिये इस बात पर मुझे विशेष दुख हुआ। मैंने स्पीकर साहब के सामने इस मामले को भी रक्खा तो उन्होंने भी यही कहा कि क्या करूं, मेरी बात वे मानते नहीं हैं।

(सरकारी पक्ष द्वारा हियर-हियर की आवाज)

तो मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा, विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि गांधीजी ने सत्यता पर आचरण किया और उनकी सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो यही है कि

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

उन्होंने अपने जीवन को सत्य रूप में ढाला। पर उनकी दुहाई देने वाले हम लोगों में से एक बात कह कर उससे बाद में इन्कार हो जावें तो गांधीजी के सत्य की दुहाई देने वालों के लिये यह बात स्वयं के लिए शोभा नहीं देती। मैं और अर्ज करूं कि इसी तरह की बातें कह कर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक सड़क का मामला था। सदन में उसका मामला आया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने चैलेंज किया कि गंगानगर में एक इंच भी सड़क नहीं बनी। मैंने चीफ इन्जीनियर को वहां भेजा कि आप जांच करें; आया कि आपका कहना सही है या गलत। वे स्वयं गये और उन्होंने रिपोर्ट दी कि वहां सड़क बनी है और यह स्टेटमेन्ट जो सदन में दिया गया सही नहीं है, गलत है। स्थिति और तथ्य यह है और वे कहते हैं नहीं बनी और उन्होंने चैलेंज किया इस बात को यहां।

(राज्य पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि एवं 'हियर हियर')

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह कौनसी सडक है जिसके बारे में आप कह रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पदमपुर की सडक है। आपने गलत स्टेटमेन्ट दिया कि नहीं बनी।

(राज्य पक्ष की ओर से 'हियर-हियर')

कुं० श्री जसवन्तसिंह—वैसे मैंने मजाक करली होगी।

(हियर-हियर)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप गांधीजी की दुहाई देते हैं, आप धर्म की दुहाइयां देकर चुनाव कराना चाहते हैं और धर्म की दुहाई देकर यह भी कहना चाहते हैं। मैं और मिसालें दूं आपको।

(हियर-हियर)

श्री श्रीदास गोयल—अब रहने दीजिये, साहब। वे समझ गये, साहब।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो लोग आज गांधीजी की दुहाई देते हैं, धर्म की आवाजें लगाते हैं, वे खुद वैसा आचरण नहीं करते। धर्म की बातें करना, मन्दिर में जाना और खुद सत्य के अनुसार आचरण नहीं करना, इसे हम कोई धर्म का लक्षण नहीं समझते। एक बात एक के सामने स्वीकार कर लेना और फिर यहां आकर उससे इन्कार कर देना, मैं नहीं समझता कि यह किस तरह का धर्म है? गांधीजी ने हमें सिखाया है कि जो बात हम कहें और जिसको हम ठीक मानते हैं उस पर डटे रहना और उसको स्पष्ट तौर से मानना चाहिये और कहना चाहिये बाहर

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

कुछ और और अन्दर कुछ और इसे न मैं गांधीजी की बातों पर आचरण करना मानता हूँ और न मैं इसे धर्म की जड़ मानता हूँ। तो मैं आप लोगों से नम्रता से निवेदन करूंगा कि यह कानून हर तरह से ठीक है। इस कानून से किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी और अगर आइन्दा हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। इस कानून के अनुसार बहुत सी पंचायतें बन चुकी हैं और तहसील पंचायतें भी बन गई हैं। अब उनके आधार पर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह कानून पास नहीं हुआ तो यह सारा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनावों का प्रोग्राम खत्म हो जावेगा और राजस्थान में हमने एक प्रकार का रास्ता अपनाया था। अगर यह हम नहीं स्वीकार करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट आ जाने वाली है। अतः आप इस कानून को पास कर दें। इसमें और जिन गलतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है उनको देखते हुए हम इस कानून के अनुसार ही आगे कार्यवाही करेंगे। आपको और नाराजगियां हो सकती हैं, पर उनको इस बिल पर निकालने से कोई हल निकलने वाला नहीं है।

(हियर-हियर)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिये मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। मुझे झूठा कहने की कोशिश की गई है। तो मैं भी आपके संबन्ध में यह बतला सकता हूँ कि आप भी गांधी जी के अनुयायी जितने बड़े अपने आपको समझते हैं, वह नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री);—I never claim it.

श्री श्रीदास गोयल—अब आप रहने दीजिए साहब। आपने कह दिया था कि मजाक में कह दिया होगा, इसी तरह इधर से मजाक में कह दिया होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, वह सिलेक्ट कमेटी के सिलसिले में प्रस्ताव रक्खा था उस पर अभी निर्णय होगा; तो मैं जवाब में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, कि जो सैकड़ों चीजों पर बहस हुई और जिन पर वाद-विवाद हुआ उनको या तो फिर से दोहराने की कोशिश की जावे या उस पर उचित उत्तर देने की कोशिश की जावे।

मैं फिर से बहुत अदब से मन्त्री महोदय से और वे शायद कानून के बहुत ज्ञाता बनते हैं तो मैं उनकी कानून की जानकारी की ओर संकेत करके कहना चाहूँगा कि यह सही है कि धारा ८६ में आपने अधिकार रक्खा। यह भी सही है कि धारा ९४ पुरानी पंचायतों पर लागू होती है; यह भी सही है। अतएव आपके कानूनी सलाहकारों ने सबने यह कहा है कि धारा ९४ क्योंकि पुरानी पंचायतों पर लागू होती है इसलिये धारा ८६ के अधिकारों का हनन नहीं होता। यह बात शायद, उपाध्यक्ष महोदय, कानून बनाते समय कहते तो मैं सौ फी सदी आगे करके कहता कि आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन कानून बनाकर २ साल तक लागू जब हो गया और अब जब

Page No.59

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पंचायतें चारों ओर बन चुकी, पंचायतों के सर्किल कॉन्स्टीट्यूट हो चुके। राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रहा हो जहां पंचायतें या पंचायत सर्किल्स नहीं हों। अब इस कानून में अगर आप संशोधन जो करेंगे, तब्दीली जो करेंगे, रद्दोबदल जो करेंगे, रिकॉन्स्टीट्यूशन जो करेंगे इसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सब चीजें सेक्शन ६३ के मातहत क्यों नहीं हो सकतीं ? वे जो पुरानी पंचायतें बन गई और इस वजह से कि हाईकोर्ट के रिट् की वजह से कैंसिल होने की नौबत आ गई, अगर अब उनको इस संशोधन से रिकॉन्स्टीट्यूट करने की कार्यवाही करते हैं तो इसमें वह रद्दोबदल करने का भी अधिकार दे रक्खा है। यह तो बात हुई जहां तक नोटिस का प्रश्न आया।

दूसरा प्रश्न यहां यह उठा कि शिकायतें अगर हमारे सामने आवेंगी तो उनको दुरुस्त करेंगे। पर शिकायतें दुरुस्त करने के लिए भी तो अधिकार चाहिये। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, और बढ़ाने-चढ़ाने में अतिशयोक्ति हो गई है तो यह अतिशयोक्ति बराबर है जिसे अपन कहते हैं वह शब्द पार्लियामेंट्री होगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता पर फिर भी कह देता हूँ, जिसे हम इन एग्जेक्टीट्यूड और एम्बेरेसिंग भी कह सकते हैं। अब यह कहना कि अतिशयोक्ति नहीं, यह सत्यता से परे हो जाता है। पंचायत एक्चुअल पंचायतें कहां तय हो, इस पर विचार कर सकते हैं; ऐस ओरिजिनल एक्ट में है।

"Panchayat or the inhabitants of that Panchayat or Panchayat circle".

ईस दोनों में से एक अंकुश अगर कहीं था भी तो सरकार एक्शन ले सकती है। या तो पंचायत बनी है वह कहे या उस क्षेत्र के रहवासी सरकार को कहें। मैं समझता हूँ कि इसमें किस बात की कमी है ? यदि दर असल शिकायत है तो लोगों की ओर से अर्जी प्रस्तुत करवाई जा सकती है, या वे स्वयं कर सकते हैं। इसमें कोई कठिन बात नहीं है। और इस कठिनाई की वजह से अगर थोड़ी परेशानी होती है तो यह कठिनाई रहने दी जाने चाहिये। जिस क्षेत्र में रद्दोबदल जैसा काम करना चाहते हैं उस इलाके के लोग या तो अर्जी दें और अगर सरकार या और कोई उसमें रद्दोबदल कराना चाहें तो वहां के किसी आदमी या रहवासी की तरफ से ऐसी दरख्वास्त दिला सकते हैं और अगर ऐसी अर्जी देने के लिए किसी एक आदमी को भी वे तैयार नहीं कर सकते तो फिर उनको अपनी शिकायत सुनाने का अख्तियार लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। अगर अर्जी तक भी नहीं प्राप्त करा सकते तो शिकायत किस की बात पर करोगे ? सच्ची बात तो यह है कि एक दूसरी किस्म की धांधली के नाम पर संशोधन करवाना या उसी नीति या राय पर काम करना, यह सरकार की जिद्द हो गई है। ऐसा नहीं है कि शिकायतें सरकार के पास नहीं आतीं। शिकायतें आती हैं पर उनकी सुनवाई नहीं होती। पर अगर कोई बात या कोई शिकायत उनके गुट्ट के या उनके आदमी करते हैं तो उनकी सुनवाई एक बार नहीं चार-चार बार होती है। तो कहने का तात्पर्य यह कि वहां तो चन्द लोगों की आवाज ही जाती है, आम लोगों की नहीं। आज जो अधिकार सरकार को है वह तो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सामान्य से सामान्य नागरिक को अधिकार है । आप माननीय सदस्यों को यह क्या प्रलोभन दे रहे हैं कि आपकहेंगे तो सुनवाई हो जावेगी । आप माननीय सदस्यों को प्रलोभन मत दीजिये, आप तो यह देखिये कि उस इलाके के लोगों का क्या कहना है, यह तो मालूम हो ? अगर इतना नहीं होता तो इस कानून की भावना का कोई मतलब नहीं ।

सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने यह कहा कि सुधार करने के लिए मैं आमादा हूँ । मानता हूँ वे जो बात कहते हैं बोनाफाइडी तरीके से कहते हैं लेकिन......

कु० श्री जसवन्तसिंह—हमें तो इसमें भी शक है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, ऐसा तो नहीं है; लोग फिर उनको बाद में करने दें या न करने दें यह बात अलग है पर उनमें सुधार करने की तत्परता तो है और जो तत्परता है वह बोनाफाइड तरीके की है । अब वह चले या न चले यह दूसरी बात है, पर उनकी बोनाफाइडी तत्परता है । इसके बावजूद उनकी कठिनाई हल हो जाती है । अगर किसी सदस्य के कहने से यह काम न हो पावे कि एक कोई आदमी उस इलाके का उस तरह की अर्जी दे दे तो यह समझ में कम ही आती है । अर्जी तो उसे लानी ही पड़ेगी, अगर वे कोई सुधार या रद्दोबदल चाहते हैं । अगर इतनी परेशानी वहां से एक आदमी से दरख्वास्त मंगाने की उन्हें होती है तो इससे उन्हें परेशान नहीं होना चाहिये और सरकार को तो और भी परेशान नहीं होना चाहिये ।

तो यह जो सब दलीलें दी जाती हैं, वे केवल महज यह जो कार्य किया जा रहा है उसके समर्थन में है । जो १६०० पंचायतें हैं, पुरानी कन्स्टीट्यूट हो चुकी हैं और इस फैसले से रद्द हो जांय उनका क्या होगा और सही मानें में अब दिमाग में बीज के रूप में काम कर रहा है, यह है उधर बैठने वाले और मन्त्री महोदय के बारे में ।

मैंने संशोधन पेश किया है तो वह बहुत सोच-समझ कर संजीदगी से विचार किया है क्योंकि इसका तहसील बोर्ड से, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से सम्बन्ध है । यह ख्याल नहीं करना चाहिये । यह अनार्की है । जिन लोगों ने अनार्की की रट लगा रखी है वह रट पुरानी हो गई है और दिल्ली से इसके छोड़ने की शुरूआत हो गई है । इसलिए यहां यह अनार्की की रट छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ठीक है । आप इसे तात्विक रूप में देखें और इस रूप में देखने की कोशिश करें कि न्यायपूर्ण तरीका क्या होगा ? यह जो गलती हो गई उसको दूर करने की बजाय इसे बनाये रखने की कोशिश की जाती है तो गलत तरह से ये ग्राम पंचायतें बनी, इन्हीं से तहसील पंचायतें बनेंगी, जिला बोर्ड बनेंगे, उनकी क्या हालत होगी ? यदि ये जो वोट देने वाले लोग हैं, उनको वोट प्राप्त होने में ही कठिनाई थी कानूनन । इलाके के लोगों की जानकारी की वजह से तो वहां इन्जस्टिस फाउन्टेन सोर्सेज़ पर हो गई है, इनको (गलती को) दूर नहीं करने से तो इसके तहसील पंचायतें और हमारे जिला बोर्ड भी शिकार होंगे । जोधपुर डिविज़न का मुझे ज्ञान है, और सब जगह है जहां पंचायत सर्किल ऐसे हैं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कि नजदीक के गांव तो उधर हैं और दूर के गांव इधर हैं। इनके बारे में सैकड़ों अर्जियां दी गई हैं। अगर मंत्री महोदय चाहते हैं कि अर्जियां सीधी उनके पास आयें तो इसकी भी व्यवस्था की जायगी। सैकड़ों अर्जियां आईं इनकी। एक पंचायत के सिलसिले में तो ऑर्डर भी निकला था, जो पंचायत नावां तहसील में है। एक न एक रूप से जो गांव दूर थे उनको जोड़ दिया और जो गांव नजदीक थे उनको अलग कर दिया, छोटा सा कस्बा है उसको पंचायत का केन्द्र बना दिया। इससे उन पंचायतों पर असर पड़ा है। यह मत सोचिये कि जो पंचायतें बन गई हैं उनमें इस चीज का लवलेश नहीं है। शिकायतें क्यों नहीं, इसका एक मुख्य कारण मैं बताता हूँ। मौजूदा समय में एक्ट का मतलब यह बताया गया है कि इसमें हम रद्दोबदल नहीं कर सकते। आप आज रद्दोबदल का गजट में निकाल दीजिये कि इसमें रद्दोबदल हो सकती है तो कल हजारों अर्जियां आयेंगी।

लेकिन फाउन्टेन सोर्सेज़ पर जो गलती हो गई है, ग्राम पंचायतों के चुनावों में ; चुनावों में इस गलती का प्रभाव पड़ गया तो उस गलती को ठीक करने की बजाय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तक क्यों ले जाया जाय ? तहसील पंचायतों के इलेक्शन तक यह मामला रोक दिया जाय, पांच सात वोटों का फरक इधर या उधर पड़ जायगा। इसका मतलब यह होगा कि इस फरक से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डायरेक्शन, तरीका बदल जायगा। तो इतनी संजीदगी की यह दलील है। गलत विधान बनाने में, पांच सात वोटों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के डायरेक्शन में फरक पड़ जायगा। कठिनाई है, पर कानून के टेक्निकल पोइन्ट की वजह से ऐसी बड़ी परेशानी आ गई है। यह कहा जाता है कि आखिर पंचायतें काम कर रही हैं, उनका काम रुकवाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूं कल पार्लियामेंट में इस प्रकार का प्रश्न आया। ५ वोटों से कम मत आने से वह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। टेक्निकल चीज़ है कि ५ वोट कम आये, कोई खास बात नहीं; लेकिन वह कानून बना नहीं, प्रस्ताव पास नहीं हुआ। टेक्निकल ..

श्री श्रीदास गोयल—On a point of order, Sir, what is the relevancy ? सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की बाबत जवाब देना चाहते थे; आपने तो रामायण पढ़ दी है, पार्लियामेंट वगैरह की इरिलेवेन्ट बातें कह दीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यहां संजीदगी पर बहस करूं और किसी की समझ में नहीं आये तो कम से कम मैं क्या करूं ? I can not supply arguments and intelligence both. I can supply only arguments.

श्री श्रीदास गोयल—माननीय सदस्य ने बहुत सी इर्रिलेवेन्ट बातें कह दीं, जिनका मतलब वे खुद नहीं समझते कि वे क्या कह रहे हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ, उस क्षेत्र में मलेरिया का कोई असर नहीं है जैसा कि सवाई माधोपुर के एरिया में है।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री घीसीसिंह—लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फालतू अपना दिमाग क्यों खर्च कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—It is very difficult to face Ghisi Singh ji.

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—समझ में नहीं आये, इसका मेरे पास इलाज नहीं है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि टेक्निकल बात सही है, सारी की सारी परेशानी की बात है। पर क्या वह टेक्निकल इस प्रकार की टेक्निकल है कि जिसका पूरे अधिकारों पर असर न पड़ा हो ?

अभी यह कहा गया कि पंचायत कानून के कॉन्स्टीट्यूशन में कान्सटीट्यूट शब्द से डिफिकल्टी पड़ गई, कॉन्स्टीट्यूट शब्द नहीं है। आपत्ति आई, १६०० पंचायतों के विषय में नोटिस इश्यू नहीं हुए थे। जिस चीज को हम स्वयं इतना महत्व का मानते हैं कि नोटिस की धारा रहनी चाहिये, मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि आश्वासन के बाद में ही होंगे, टंटा यह नहीं। टंटा आयन्दा के लिये आवश्यक समझते हैं तो फिर करने के लिये आवश्यक क्यों नहीं समझते ? यदि कानून के गलत प्रयोग से गलती हुई है तो इसका एक ही हल है कि जो गलती हुई है उसको दुरुस्त किया जाय। आपने गलती की, उसको दुरूस्त करने के बजाय उसे वैसा ही बनाये रखने के लिए कानूनमें सुधार करने की कोशिश करें, तो यह दुनियां में और ही गलत परम्परा होगी तो हम बहुत गलत परम्परा इस तरहसे राजस्थानमें डालेंगे, सदन में डालेंगे; इस दृष्टि से मैंने अपना प्रस्ताव रखा था। अब भी नोटिस के लिये कायम रहते हैं जो कि मन्त्री महोदय की राय है तो १६०० पंचायतों के लिये वंचित क्यों रखा जाता है ? नतीजा इसका केवल एक ही है और वह यह है कि इस कानून के जरिये जो रोंग वर्क किया गया है उसको ठीक करने के लिये संशोधन नहीं किया जावे और सही माने में संशोधन बने हुए कानून को सुचारू रूप से चलाने के लिये है। मैं अभी भी महसूस करता हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे। संशोधन इर्रेगुलेरिटि को दूर करने के लिये नहीं होना चाहिये। इन सारी बातों पर हम विचार कर लेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे जो अर्ज करना था सो कर दिया और निर्णय करना सदन के अधिकार में है।

श्री अध्यक्ष—So I put all these amendments to vote

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (एमेन्डमेंट) बिल, १९५५, को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे।

[श्री अध्यक्ष]

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--हां पक्ष जीता ।

श्री अध्यक्ष--डिवीज़न चाहते हो ? डिविज़न चाहें तो मेन (main) पर चाहें ।

(**अस्वीकृत**)

ना पक्ष जीता, प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (एमेन्डमेन्ट) बिल, १९५५ को विचारार्थ लिया जावे ।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Noes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष— Division desired ?

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Noes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—Do you want Division ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—Certainly, This is a matter of principle.

Page No.64

श्री अध्यक्ष—Ayes to go in Ayes lobby and noes in noes lobby.

(विभाजन के पश्चात्)

The result of division is 71 for Ayes and 20 for Noes.

So the motion is passed.

(राज्य-पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

(विभाजन सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट देखिये)

We now take the Bill clause-by-clause.

There are amendments.

Clause 2.

I think the amendments have been circulated. I allow these amendments subject to the condition that they are accepted by the Treasury Benches; otherwise they are not in time.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—We have got a chance to take objection to these amendments, because under rule 139 it is definitely stated that two days' clear notice should be given; unless the Speaker, in his discretion, etc. etc.

श्री मथुरादास माथुर—The Speakar has fortunately exercised discretion in favour of the amendments.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I would submit to you that discretion is of course with the Speaker.

श्री अध्यक्ष—It is a question of time. If the Hon'ble Members want time, we can take it tomorrow.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, जब कल हम इस पर कह लें तब यह लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—In the light of discussions that we have had on the floor of the House the Government Benches have come forth with these amendments and

[श्री अध्यक्ष]

if the Hon'ble Leader of Opposition feels that they are not satisfied we can adjourn for day after tomorrow.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Naturally we are not satisfied, it is a matter of principle.

रूल्स ऑफ प्रोसीजर में यह साफ लिखा हुआ है कि अमेन्डमेन्ट जो आयगा उसके लिये दो दिन का क्लिअर नोटिस देना लाजमी है।

श्री अध्यक्ष—All right. We will hear Bhairon Singhji. His amendment is in time.

भैंरूसिंहजी का अमेन्डमेन्ट पहले आया, मैं उसको मूव करने की आज्ञा देता हूं।

श्री भैंरूसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि क्लॉज २ का लोप कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं आपको इन्टरप्ट करूं तो सम्भवतः आप बुरा नहीं मानेंगे अध्यक्ष महोदय। अगर यह, व इसे सोमवार को भी चलाचा है तो माननीय सदस्यों से जो इन्फोर्मल बात-चीत के लिये लिखा हुआ है वह कर ली जाय और आज की बैठक स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—So we adjourn for day-after-tomorrow at 8.45. but then I hope the Hon'ble Memders will keep to the time.

श्री खेतसिंह—बैठेंगे कितना ?

श्री अध्यक्ष—Probably up to I. P. M.

श्री जसवन्तसिंह—My suggestion is that those who come late should sit late.

श्री अध्यक्ष—We disperse now.

[श्री अध्यक्ष]

(विधान सभा की कार्यवाही १२.२५ मिनिट पर, दिनांक ५ दिसम्बर, १९५५ के ८.४५ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–३ फरवरी, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६५५ को विचारार्थ लेने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विभाजन

हां पक्ष, ७१

क्रम संख्या	सदस्य का नाम
१.	श्री अमृतलाल यादव
२.	श्री बद्रीलाल
३.	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
४.	मेजर ठा० भैंरूसिंह (सोजत देसूरी)
५.	श्री भैंरूसिंह (राजसमंद रेल मगरा)
६.	श्री भवानीसहाय शर्मा
७.	श्री भोगीलाल पंड्या
८.	श्री भोलानाथ
६.	पं० चन्द्रकान्त राव
१०.	श्री चुन्नीलाल ब्रिरला
११.	श्री दलीपसिंह
१२.	श्री दामोदर व्यास
१३.	श्री दीनबन्धु परमार
१४.	कुं० श्री देवीसिंह
१५.	श्री धूलजीभाई भावसर
१६.	ले०क० श्री आर. दिलीपसिंह
१७.	श्री दुर्लभसिंह
१८.	श्री घासीराम
१६.	श्री घीसीसिंह कटेला
२०.	श्री जयसिंह राणावत
२१.	श्री जी. सी. कासलीवाल
२२.	,, हंसराज आर्य(वारदा)
२३.	,, हंसराज जटिया (बारी)
२४.	,, हरिदेव जोशी
२५.	,, हरिराम निनामा
२६.	,, हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
२७.	,, सरदार हरलालसिंह
२८.	श्री हजारीलाल शर्मा
२६.	,, द्वारकादास पुरोहित
३०.	,, जयचन्द्र मोहिल
३१	,, कंवरलाल जेलिया
३२.	,, केसरीसिंह (सोजत मेन)
३३.	,, खेतसिंह
३४.	,, किशनलाल शाह
३५.	,, मोहम्मद अब्दुल हादी
३६.	,, चौ० कुम्भाराम आर्य
३७.	,, लादुराम चौधरी
३८.	,, लाल बहादुर
३६.	,, लालसिंह शक्तावत
४०.	,, लालूराम
४१	,, लक्ष्मण हीरात
४२.	,, गौरी शंकर आचार्य
४३.	,, मन्ना भील
४४.	,, मनफूलसिंह भादू
४५.	,, रावत श्री मानसिंह
४६.	,, मथुरादास माथुर
४७.	,, मोहनलाल सुखाड़िया
४८.	,, मोतीराम माथुर
४६.	,, नारायण चतुर्वेदी
५०.	,, नरसिंह कछवाहा
५१.	,, प्रतापसिंह (चित्तौड़)
५२.	,, प्रभूदयाल
५३.	,, बृजसुन्दर शर्मा
५४.	,, मेजर ठा० रघुवीर सिंह

क्रम संख्या	विभाजन संख्या	क्रम संख्या	विभाजन संख्या

५५. श्री रामचन्द्र चौधरी
५६. ,, रामदयाल उपाध्याय
५७. ,, रामकिशोर व्यास
५८. ,, रिद्धिचन्द पालीवाल
५९. ,, रोशनलाल शर्मा
६०. ,, केप्टन सज्जनसिंह
६१. ,, सम्पतराम
६२. ,, अंगद राम
६३. ,, शाह अलीमुद्दीन अहमद
६४. ,, शिवदानसिंह
६५. ,, श्रीभानसिंह
६६. ,, श्रीदास गोयल
६७. ,, सोहनलाल भटनागर
६८. ,, सोमावाला भील
६९. ,, सुगनचन्द्र जैन
७०. ,, तेजराजसिंह गेंतीं
७१. टीकाराम पालीवाल

हां पक्ष- ७१

१, श्री अवनीकुमार मुकर्जी
२. ले० क० श्री राजाधिराज अमर सिंह
३, श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ़)
४. श्री भोपाल सिंह
५. श्री छीतरलाल शर्मा
६. श्री गनपत सिंह
७. श्री हनवन्त सिंह
८. श्री राज हिम्मत सिंह (अटरू)
९. श्री ईश्वर सिंह
१०. श्री जगत सिंह भाला
११. कु श्री जसवन्त सिंह
१२. श्री जवान सिंह सोलंकी
१३. ठा० श्री लक्ष्मण सिंह
१४. श्री मुक्तिलाल मोदी
१५. श्री प्रताप सिंह (सूरजगढ़)
१६. पं० श्री रूपनारायण शास्त्री
१७. रावत श्री शम्भु सिंह
१८. श्री तन सिंह
१९ श्री वेदपाल त्यागी
२०. श्री हरिकृष्ण व्यास